

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड-3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार ,से प्रकाशित

प्राायकार ,सः प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2010/आषाढ़ 31, 1932

No. 406] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2010/ASADHA 31, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 614(अ), कन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ग' और 'घ' (साधारण ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेडमैन) काडर (अराजपत्रित) (पुरुष/महिला) और समूह 'घ' (अध्यावेशित अनुधारी) (पुरुष/महिला) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध समूह 'ग' और 'घ' (साधारण ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेडमैन) काडर (पुरुष/महिला) और समूह 'घ' (अध्यावेशित अनुधारी) (पुरुष/महिला) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोग किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल साधारण ड्यूटी काडर, तकनीकी काडर और ट्रेडमैन (पुरुष/महिला) में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ग' (साधारण ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेडमैन) काडर भर्ती नियम, 2010 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "महानिदेशक" से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक अभिप्रेत है;
 - (ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;
 - (ग) ''शेप-एक'' ऐसे चिकित्सा प्रवर्ग को निर्दिष्ट करता है जो गृह मंत्रालय/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों द्वारा शासित होगा ।
 - (घ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 में हैं ।
 - 3. लागू होना.—ये नियम, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पंद/पदों को लागू होंगे ।
- 4. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

- 5. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अहंताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अहंताएं और उत्तर्स संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 6. अनुरक्षण.—विना भरे रहा ऐसा प्रत्येक पद और प्रत्येक रिक्ति जो तत्पश्चात् उदभूत हो सकेगी, अनुसूची में यथा अन्तर्विष्ट उपबंधों तथा ऐसी पद्धति के अनुसार भरी जाएगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।
- 7. पूर्व प्रोन्नित पाठ्यक्रम.—पोषक रैंक में व्यक्ति को उसकी ज्येष्ठता के क्रम में उच्चतर रैंक पर प्रोन्नित के लिए पात्रता सेवा पूरी करने से पूर्व अर्हक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए भेजा जाएगा और वल का ऐसा प्रत्येक सदस्य से, किसी प्रोन्नित से पूर्व इसे उपाबद्ध अनुसूचियों में निर्दिष्ट पूर्व प्रोन्नित और प्रोन्नित पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी:

परन्तु यदि महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि सेवा की अत्यावश्यकताओं या अन्य अपरिहार्य कारणों से, कोई ऐसा सदस्य अपेक्षित पूर्व प्रोन्नित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने में समर्थ नहीं है तो वह प्रोन्नित की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर ऐसे सदस्य द्वारा पूर्व प्रोन्नित पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए ऐसे सदस्य को प्रोन्नित कर सकेगा जिसके न हो सकने पर उसे पूर्वतर रैंक और प्रास्थिति पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

- 8. ज्येष्ठता.—ज्येष्ठता, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए साधारण अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी ।
- 9. तकतीकी कार्मिकों की नियुक्ति.—इन नियमों के संदर्भ में ऐसे ट्रेंड के सिवाय जिसे तकनीकी (अर्थात् आमॉरर/फिटर/चालक) और ट्रेंड (जैसे बढ़ई/मोची/दर्जी/बैंड) के रूप में विनिर्दिष्ट रूप से घोषित किया जाता है और पृथक नियमों के अधीन शासित किया जाता है, तो ट्रेड जैसे माली/बिगुलर/पेंटर साधारण ड्यूटी काडर में होंगे और ऐसे किसी ट्रेड की ऐसी अपेक्षित अर्हता या अनुभव, जो विहित की जाए, रखने वाले व्यक्ति को महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा ट्रेड के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियोजित किया जाएगा।
 - 10. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 11. अन्य देशीय की अपात्रता.—कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमित के सिवाए इन नियमों के अधीन नियुक्त किया जाएगा अन्यथा नहीं।
- 12. अधिवर्षिता.—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस मास के अन्तिम दिन के अपराह्न को सेवा से निवृत्त हो जायेगा जिसमें वह 57 वर्ष की आयु या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जो विहित की जाये, प्राप्त करता है। परन्तु ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली पर्वूवर्ती तारीख है अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर मास के अन्तिम दिन के अपराह्न को सेवा से निवृत्त हो जायेगा।
 - (2) किसी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति की विहित आयु से परे सेवा में कोई विस्तार मंजूर नहीं किया जायेगा।
- 13. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 14. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों खिलाड़ियों, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।
- 15. निवर्चन.—यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

				अनुसूची	•	
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
					नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय या नहीं	ि है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
साधारण ड्यूटी काडर (1) कांस्टेबल	1,53,420* (2010) (पुरुष 1,50,470 और स्त्रियां 2950) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-। (5200- 20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बी (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों व दशा में 5 वर्ष तक अ अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थि की दशा में 3 वर्ष त शिथिल की जा सकती है टिप्पण : प्रत्येक मामले आयु सीमा अवधारण कर के लिए निर्णायक तारीर विज्ञापन में उल्लिखा अन्तिम तारीखा होगी
सीधे भर्ती किए लिए अपेक्षित अर्हताएं	•		आयु और	किए जाने वाले व्य शैक्षिक अर्हताएं प्रो ों लागू होंगी या नर्ह		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
. (8)				(9)		(10)
मान्यताप्राप्त बो या समतुल्य या	र्ड या विश्वविद् भूतपूर्व सैन्य द	य सरकार द्वारा वालय से मैट्रिक कार्मिकों की दशा		लागू नहीं होता		दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।
में समतुल्य सैन (ii) सरकार व शारीरिक और (iii) भर्ती के	ी विहित स्की चिकित्सा मान लिए विज्ञापन	दंड । में उल्लिखित		·		·
शारीरिक मानक	परीक्षण/शारी	लिए यथा विहित रेक दक्ष परीक्षण होना चाहिए ।	·			
		होगी या प्रोन्नति द्व द्धतियों द्वारा भरे जा			नियुक्ति या आमेलन द्वारा १ नित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन नि	
	(11)		··· <u>·</u> ·	(12)	
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदध् सीधी भर्ती द्वारा	100% गारी के प्रतिनि	पुक्ति पर रहने के र	कारण हुई रिक्तिया		लागू नहीं होता	

4 THE GAZETT	E OF INDIA: EXTRAORDINARY [Part II—Sec. 3(i)
प्रोन्नित के लिए, प्रोन्नित समिति की संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्ति स	मिति:— लागू नहीं होता ।
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट —पीठासीन	
(ii) उप कमांडेंट —सदस्य-I	
(iii) सहायक कमांडेंट —सदस्य-II	
(1) (2) (3) (4)	(5) (6) (7).
2. हैड 39,845* साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड	s-I अचयन लागू नहीं होता 18 और 23 वर्ष के बीच
, कांस्टेबल (2010) सेवा, समूह 'ग', (5200-	(अनुसूचित जातियों/
(पुरुष (अननुसचिवीय) 20200 र	
39,109 (योधक) ग्रेड वेतन	
और स्त्रियां 2400 रु.	
736) *कार्यभार	की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)
के आधार	हिय्ययः प्रत्येक मामले
पर परिवर्तन	अयु सीमा अवधारण करने
किया जा	के लिए निर्णायक तारीख
सकता है।	. विज्ञापन में उल्लिखित
	अन्तिम तारीख होगी ।
(8)	(9)
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त	लागू नहीं होता सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के
बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य	लिए दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के
कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता ।	विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।
(ii) सरकार की विहित स्कीम के अनुसार शारीरिक और	
चेकित्सा मानदंड ।	
(iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण	
इयूटी) के लिए यथा विहित शारीरिक मानक।	<u> </u>
(11)	(12)
(1) 95% पोषक पदों से प्रोन्नति द्वारा ।	(i) ऐसा कांस्टेबल, कांस्टेबल के रूप में पांच वर्ष की नियमित
(2) 5% खेलों के आधार पर सीधी नियुक्ति द्वारा।	सेवा की हो जिसके अन्तर्गत ड्यूंटी बटालियन में की गई 3 वर्ष भी है।
	(ii) महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर
·	अपेक्षानुसार यथा विहित प्रोन्नित पाठ्यक्रम या कोई अन्य पाठ्यक्रम
	उत्तीर्ण किया हो ।
	(iii) चिकित्सा वर्ग 'शेप-एक' का होना चीहिए।
	(iv) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो ।

टिप्पण 1.—जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित

अहंक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिंहत, जिन्होंने ऐसी अहंक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्ति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.—प्रोन्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार दिया गया है ऐसी सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड वेतन में की गई सेवा समझी जाएगी।

						
						<u> </u>
<u> </u>	(13)	in the second second	<u> </u>		(14)	
पुष्टि पर वि	चार करने के	लिए विभागीय प	गेलति समिति	;—	लागू नहीं हो	ता
(i) उप-मह (ii) उप कम (iii) सहायव			पीठासीन अधिक सदस्य I सदस्य II	गरी 		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी	605*(2010)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	*कार्यभार ल के आधार	सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय)	(5200- 20200 रु.)			•
(आर्मोरर)	पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	(योधक)	ग्रेड वेतन 2000 रु.			
(8		<u> </u>	<u> </u>	(9)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(10)
 लागू नहीं						
् लागू नहा	<u> </u>			लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
	(11)	·	· ·	(12)	
	शत-प्रतिशत पुन		· · ·			गदी अर्हक आर्मोरर पाठ्यक्रम किया जा रहा है।
			•		<u> </u>	·
•	(13)	,			. (14)	
•	लागू नहीं हो	ता	· <u></u>		लागू नहीं होता	
	,	,				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. कांस्टेबल (फिटर)	1431*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	-साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200- 20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थिय
·	सकता है।	· -				की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : प्रत्येक मामले व

(iii) सीधे भर्ती के विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण डयटी) के लिए यथा विहित शारीरिक मानक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में अईक होना चाहिए। (12)(11)सीधी भर्ती या पुन: भर्ती द्वारा ऐसे कांस्टेबल (साधारण इयूटी) जिन्हें चालक और मैकेनिक पाद्यक्रम सफलतापूर्वक अहता प्राप्त करने के पश्चात पून: भर्ती किया जा रहा टिप्पण,-पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी । है । (13)(14)(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट --पीठासीन अधिकारी लागू नहीं होता (ii) उप कमांडेंट -सदस्य । —संदस्य II (iii) सहायक कमांडेंट (4) (6) (1) (2) (3) (5)(7)6. हैड वेतन बैंड-1 साधारण केन्द्रीय लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता 688*(2010) कांस्टेबल *कार्यभार सेवा, समूह 'ग', (5200-(आर्मोरर) के आधार (अननुसचिवीय) 20200 চ.) पर परिवर्तन (योधक) ग्रेड वेतन किया जा 2400 र. सकता है । (8) (9) (10)लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता (12)(11)प्रोन्नति (i) ऐसा कांस्टेबल (आर्मर) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष प्रोन्नति द्वारा नियमित सेवा की हो । (ii) जिन्हों ने आवश्यकतानुसार समय-समय पर महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विहित ट्रेड में पूर्व-प्रोन्नित/प्रोन्नित पाठ्यक्रम या कोई अन्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो । (iii) चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I का होना चाहिए । (iv) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो । टिप्पण 1.--जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अईक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के

लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रोन्नति द्वारा

(12)

टिप्पण 2.—प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित चेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार दिया गया है ऐसी सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड चेतन में की गई सेवा समझी जाएगी।

ř.	· (13)	<u>-</u>	•	•	(14)
	निरीक्षक/कमां डें	The second secon	ोन अधिकारी		लागू	नहीं होता
			II			
<u> </u>	ग तनु। पत ज्ञान	€I —418-4	1444		•	N. S.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. हैंड कांस्टेबल (फिटर)	709*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200- 20200 रु.) ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	-					
(8	3)		,	(9)		(10)
लागू नही	ों होता		ल	ागू नहीं होता	-	लागू नहीं होता
, -			. <u>-</u> ,			
(1	<u>i)</u> -				(12)	
```			•	. \		

- (i) ऐसा कास्टेबल '(फिटर) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष, नियमित सेवा की हो ।
- (ii) जिन्होंने आवश्यकतानुसार समय-समय पर महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विहित ट्रेड में पूर्व-प्रोन्निति/प्रोन्निति पाठ्यक्रम या अन्य कोई पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।
- (iii) चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I का होना चाहिए।
- (iv) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो।

टिप्पण 1.—जहां ऐसे किन्छ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.-प्रोन्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार दिया गया है ऐसी सेवा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड वेतन में की गई सेवा समझी जाएगी।

	(13)			(14)				
 (i) उप-महा	 ानिरीक्षक/कमांडेंट	 —पीठार्स	ोन अधिकारी	लागू नहीं होता				
(ii) उप-का	मांडेंट .	—सदस्य	I		-			
(iii) सहायव	क कमांडेंट	—सदस्य	П_/	. · ·		<i>:</i>		
(iv) एक स	दस्य जिसे संबंधित	ī ·	•					
ट्रेड का समुचित ज्ञान हो —सह-सदस्य				•		•		
			<u>:</u>			,		
(1)	(2)	(3)-	(4)	(5)	(6)	(7)		
8. हैड	5327*(2010)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-1	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
कांस्टेबल	*कार्यभार	सेवा, समूह 'ग',	(5200-					
(ड्राइवर)	के आधार 🕟	(अननुसचिवीय)	20200 रु.)	•.	. •	•		
•	. पर परिवर्तन	(योधक)	ग्रेड वेतन					
	किया जा		2400 ক.	2				
	सकता है ।	•	•-		•			
(8	3) · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(9)		(10)		
लागू नही	ों होता′			नागू नहीं होता	·	लागू नहीं होता		
						•		
	(41)				. (12)			
गेन्नति द्वारा				पोन्नति (i'	) ऐसा कांस्टेबल (चालक)	जिसने उसं श्रेणी में पां		

वर्ष नियमित सेवा की हो।

- (ii) जिन्होंने आवश्यकतानुसार समय-समय पर महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विहित ट्रेड में पूर्व-प्रोन्नित/प्रोन्नित पाठ्यक्रम या कोई अन्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो ।
- (iii) चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 का होना चाहिए ।
- (iv) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो ।

टिप्पण 1. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2,—प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अहंक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार दिया गया है ऐसी सेवा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड वेतन में की गई सेवा समझी जाएगी।

			गई सेवा समझी जाएगी।
(13)	·	(14)	·
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट       —पीठासीन अधिकारी         (ii) उप-कमांडेंट       —सदस्य I         (iii) सहायक कमांडेंट       —सदस्य II		्रलागू नहीं होत	T .
(iv) एक सदस्य जिसे संबंधित			
(1) (2) (3) (4)	(5)	6)	(7)
9. ट्रेडमैन 472*(2010) साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड-1 काडर *कार्यभार सेवा, समूह 'ग', (5200- कांस्टेयल के आधार (अननुसचिवीय) 20200 ह.) (बढ़ई) पर परिवर्तन (योधक) ग्रेड वेतन किया जा 2000 ह. सकता है।	लागू नहीं होता लागू न	() 3 5 6 <b>f</b> 5 7	8 और 23 वर्ष के बीच अनु सूचित जातियों भी अनु सूचित जनजातियों की रशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टेप्पण : प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखात अन्तिम तारीख होगी।
(8)	_ (9)	. (	10)
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता । (ii) सरकार की विहित स्कीम के अनुसार शारीरिक और	लागू नहीं होता		सक्षम प्राधिकारी गर आगे बढ़ाई ।
चिकित्सा मानदंड । (iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कास्टेबल (साधारण इ्यूटी) के लिए यथाविहित शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में अर्हक होना चाहिए। (iv) बढ़ई के ट्रेड में निपुण होना चाहिए।			
<u></u>	•		·
(11)	(12)		

	(13)		· ·		(14	
पुष्टि पर विच	ार करने के लिए	विभागीय प्रोन्नति स	मिति :—		लाग न	हीं होता
	निरीक्षक/ <b>कमांडें</b> ट		ोन अधिकारी	,	•	•
(ii) उप कम		सदस्य				•
(iii) सहायक		—सदस्य				
	•		<u>,</u>	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<u>(i)</u>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	720*(2010)	साधारण केन्द्रीय	घेतन बैंड−।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच
्(मोची)	*कार्यभार	सेवा, समूह 'ग'़,	(5200-	*.		(अनुसूचित जातियों/
,	के आधार	(अननुसचिवीय)	20200 চ.)			अनुसूचित जनजातियों की
٠.	पर परिवर्तन	(योधक)	ग्रेड वेतन		•	दशा में 5 वर्ष तक और
	किया जा		2000 ফ.		•	अन्य पिछड़े वर्ग के
,	सकता है।					अभ्यर्थियों की दशा में
•	•		•			3 वर्ष तक शिथिल की
	•	•				जा सकती है)
				•		जा स्वयंता है) <b>टिप्पण</b> : प्रत्येक मामले में
		٠	•			
					•	आयु-सीमा अवधारण करने
•	•		•		r ·	के लिए निर्णायक तारीख
	<u></u>					विज्ञापन में उल्लिखित
						अन्तिम तारीख होगी ।
	(8)		<del> </del>	(9)		(10)
	(8)			(9)		(10)
	 मरकार या राज्य न	सरकार द्वारा मान्यताऽ		(9) गगू नहीं होता		और सक्षम प्राधिकारी
बोर्ड या विश्वी	नरकार या राज्य विद्यालय से मैट्रि	क या समतुल्य या.१	<b>मूतपूर्व</b>	<del></del>	के विवे	और सक्षम प्राधिकारी हानुसार आगे बढाई
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों	नरकार या राज्य न विद्यालय से मैट्रिं की दशा में सम	क या समतुल्य या.१ नतुल्य सैन्य अर्हता ।	मूतपूर्व	<del></del>		और सक्षम प्राधिकारी हानुसार आगे बढाई
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों	नरकार या राज्य न विद्यालय से मैट्रिं की दशा में सम	क या समतुल्य या.१	मूतपूर्व	<del></del>	के विवे	और सक्षम प्राधिकारी हानुसार आगे बढाई
बोर्ड या विश्व सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार व	तरकार या राज्य विद्यालय से मैट्रिं की दशा में सम् की विहित स्की	क या समतुल्य या.१ नतुल्य सैन्य अर्हता ।	मूतपूर्व	<del></del>	के विवे	और सक्षम प्राधिकारी हानुसार आगे बढाई
बोर्ड या विश्व सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार चिकित्सा मान	तरकार या राज्य विद्यालय से मैट्रि किद्यालय से मैट्रि की दशा में सम् की विहित स्की दंड ।	क या समतुल्य या.१ नतुल्य सैन्य अर्हता ।	मूतपूर्व क और	<del></del>	के विवे	और सक्षम प्राधिकारी हानुसार आगे बढाई
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार व चिकित्सा मान (iii) भर्ती के	तरकार या राज्य व विद्यालय से मैट्टिंग की दशा में सम् की विहित स्की दंड । लिए विज्ञापन में	क या समतुल्य या.१ नतुल्य सैन्य अर्हता । म के अनुसार शारीरि	मूतपूर्व क और (साधारण	<del></del>	के विवे	और सक्षम प्राधिकारी हानुसार आगे बढाई
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार व चिकित्सा मान (iii) भर्ती के ड्यूटी) के लि	तरकार या राज्य व विद्यालय से मैट्टिंग की दशा में सम् की विहित स्की दंड । लिए विज्ञापन में ए यथाविहित शा	क या समतुल्य या.१ नतुल्य सैन्य अर्हता । म के अनुसार शारीरि उल्लिखित कांस्टेबल रीरिक मानक परीक्षा	मूतपूर्व क और (साधारण /शारीरिक	<del></del>	के विवे	और सक्षम प्राधिकारी हानुसार आगे बढाई
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार व चिकित्सा मान (iii) भर्ती के इ्यूटी) के लि दक्षता परीक्षण	तरकार या राज्य विद्यालय से मैट्टि की दशा में सम् की विहित स्की दंड । लिए विज्ञापन में ए यथाविहित शा और लिखित प	क या समतुल्य या.१ ततुल्य सैन्य अर्हता । म के अनुसार शारीरि उल्लिखित कास्टेबल रीरिक मानक परीक्षा ररीक्षा में अर्हक होन	मूतपूर्व क और (साधारण /शारीरिक	<del></del>	के विवे	और सक्षम प्राधिकारी हानुसार आगे बढाई
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार व चिकित्सा मान (iii) भर्ती के इ्यूटी) के लि दक्षता परीक्षण	तरकार या राज्य व विद्यालय से मैट्टिंग की दशा में सम् की विहित स्की दंड । लिए विज्ञापन में ए यथाविहित शा	क या समतुल्य या.१ ततुल्य सैन्य अर्हता । म के अनुसार शारीरि उल्लिखित कास्टेबल रीरिक मानक परीक्षा ररीक्षा में अर्हक होन	मूतपूर्व क और (साधारण /शारीरिक	<del></del>	के विवे	और सक्षम प्राधिकारी हानुसार आगे बढाई
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार व चिकित्सा मान (iii) भर्ती के इ्यूटी) के लि दक्षता परीक्षण	तरकार या राज्य विद्यालय से मैट्टि की दशा में सम् की विहित स्की दंड । लिए विज्ञापन में ए यथाविहित शा और लिखित प	क या समतुल्य या.१ नतुल्य सैन्य अर्हता । म के अनुसार शारीरि उल्लिखित कांस्टेबल रीरिक मानक परीक्षा गरीक्षा में अर्हक होन होना चाहिए ।	मूतपूर्व क और (साधारण /शारीरिक	<del></del>	के विवे	और सक्षम प्राधिकारी हानुसार आगे बढाई
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार व चिकित्सा मान (iii) भर्ती के इ्यूटी) के लि दक्षता परीक्षण (iv) मोची के	तरकार या राज्य विद्यालय से मैट्रि की दशा में सम् की विहित स्की दंड । लिए विज्ञापन में ए यथाविहित शा और लिखित प ट्रेड में निपुण व	क या समतुल्य या.१ नतुल्य सैन्य अर्हता । म के अनुसार शारीरि उल्लिखित कांस्टेबल रीरिक मानक परीक्षा गरीक्षा में अर्हक होन होना चाहिए ।	मूतपूर्व क और (साधारण /शारीरिक	<del></del>	के विवेव जा सक	और सक्षम प्राधिकारी हानुसार आगे बढाई
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार व चिकित्सा मान (iii) भर्ती के ड्यूटी) के लि दक्षता परीक्षण (iv) मोची के	तरकार या राज्य विद्यालय से मैट्रि की दशा में सम् की विहित स्की दंड । लिए विज्ञापन में ए यथाविहित शा और लिखित प ट्रेड में निपुण व	क या समतुल्य या.१ ततुल्य सैन्य अर्हता । म के अनुसार शारीरि उल्लिखित कांस्टेबल रीरिक मानक परीक्षा रिका में अर्हक होन होना चाहिए ।	मूतपूर्व क और (साधारण (शारीरिक	<del></del>	के विवेव जा सक (12)	और सक्षम प्राधिकारी हानुसार आगे बढाई
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार व चिकित्सा मान (iii) भर्ती के इयूटी) के लि दक्षता परीक्षण (iv) मोची के सीधी भर्ती द्वार टिप्पण.—पर	तरकार या राज्य विद्यालय से मैट्टिंग की दशा में सम् की विहित स्की दंड । लिए विज्ञापन में ए यथाविहित शा और लिखित प ट्रेड में निपुण वि	क या समतुल्य या.१  नतुल्य सैन्य अर्हता ।  म के अनुसार शारीरि  उल्लिखित कांस्टेबल  रीरिक मानक परीक्षा  ारीक्षा में अर्हक होन  होना चाहिए ।	मूतपूर्व क और (साधारण (शारीरिक	<del></del>	के विवेव जा सक (12)	और सक्षम प्राधिकारी हानुसार आगे बढाई
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार व चिकित्सा मान्य (iii) भर्ती के इ्यूटी) के लि दक्षता परीक्षण (iv) मोची के सीधी भर्ती द्वार टिप्पण.—पद' रहने के कारण	तरकार या राज्य विद्यालय से मैट्रि की दशा में सम् की विहित स्की दंड । लिए विज्ञापन में ए यथाविहित शा और लिखित श ट्रेड में निपुण व (11) । धारी के प्रतिनियु इई रिक्तियां सी	क या समतुल्य या.१  नतुल्य सैन्य अर्हता ।  म के अनुसार शारीरि  उल्लिखित कांस्टेबल  रीरिक मानक परीक्षा  ारीक्षा में अर्हक होन  होना चाहिए ।	मूतपूर्व क और (साधारण (शारीरिक	<del></del>	के विवेव जा सक (12)	और सक्षम प्राधिकारी हानुसार आगे बढाई
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार व चिकित्सा मान्य (iii) भर्ती के इयुटी) के लि दक्षता परीक्षण (iv) मोची के सीधी भर्ती द्वार टिप्पण.—पद रहने के कारण	तरकार या राज्य विद्यालय से मैट्टिंग की दशा में सम् की विहित स्की दंड । लिए विज्ञापन में ए यथाविहित शा और लिखित प ट्रेड में निपुण व (11) । धारी के प्रतिनियु हुई रिक्तियां सी	क या समतुल्य या.१  नतुल्य सैन्य अर्हता ।  म के अनुसार शारीरि  उल्लिखित कांस्टेबल  रीरिक मानक परीक्षा  ारीक्षा में अर्हक होन  होना चाहिए ।	मूतपूर्व क और (साधारण (शारीरिक	<del></del>	के विवेर जा सक (12) लागू नहीं होता	और सक्षम प्राधिकारी भानुसार आगे बढाई ती हैं ।
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार व चिकित्सा मान्य (iii) भर्ती के इ्यूटी) के लि दक्षता परीक्षण (iv) मोची के सीधी भर्ती द्वार टिप्पण.—पद रहने के कारण द्वारा भरी जाएंग	तरकार या राज्य विद्यालय से मैट्रि की दशा में सम् की विहित स्की दंड । लिए विज्ञापन में ए यथाविहित शा और लिखित प ट्रेड में निपुण व (11) । । । धारी के प्रतिनियु । हुई रिक्तियां सी	क या समतुल्य या.१ ततुल्य सैन्य अर्हता । म के अनुसार शारीरि उल्लिखित कांस्टेबल रीरिक मानक परीक्षा रोशा में अ्र्हक होन होना चाहिए ।  क्ति पर धी भर्ती	मृतपूर्व क और (साधारण शारीरिक ा चाहिए ।	<del></del>	के विवेव जा सक (12) लागू नहीं होता	और सक्षम प्राधिकारी भानुसार आगे बढ़ाई ती है ।
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार व चिकित्सा मान्य (iii) भर्ती के ड्यूटी) के लि दक्षता परीक्षण (iv) मोची के सीधी भर्ती द्वार टिप्पण.—पद रहने के कारण द्वारा भरी जाएं	तरकार या राज्य विद्यालय से मैट्रि की दशा में सम् की विहित स्की दंड । लिए विज्ञापन में ए यथाविहित शा और लिखित प ट्रेड में निपुण व (11) व हुई रिक्तियां सी गी।	क या समतुल्य या.१ ततुल्य सैन्य अर्हता । म के अनुसार शारीरि उल्लिखित कांस्टेबल रीरिक मानक परीक्षा रोक्षा में अ्र्हक होन होना चाहिए ।  क्ति पर धी भर्ती	मृतपूर्व  (साधारण /शारीरिक ा चाहिए।	<del></del>	के विवेर जा सक (12) लागू नहीं होता	और सक्षम प्राधिकारी भानुसार आगे बढ़ाई ती है ।
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार व चिकित्सा मान्य (iii) भर्ती के ड्यूटी) के लि दक्षता परीक्षण (iv) मोची के सीधी भर्ती द्वार टिप्पण.—पद रहने के कारण द्वारा भरी जाएं	तरकार या राज्य विद्यालय से मैट्रि की दशा में सम् की विहित स्की दंड । लिए विज्ञापन में ए यथाविहित शा और लिखित प ट्रेड में निपुण व (11) । । । धारी के प्रतिनियु । हुई रिक्तियां सी	क या समतुल्य या.१ ततुल्य सैन्य अर्हता । म के अनुसार शारीरि उल्लिखित कांस्टेबल रीरिक मानक परीक्षा रोक्षा में अ्र्हक होन होना चाहिए ।  क्ति पर धी भर्ती	मृतपूर्व क और (साधारण शारीरिक ा चाहिए ।	<del></del>	के विवेव जा सक (12) लागू नहीं होता	और सक्षम प्राधिकारी भानुसार आगे बढ़ाई ती है ।
बोर्ड या विश्वी सैन्य कार्मिकों (ii) सरकार व चिकित्सा मान्य (iii) भर्ती के ड्यूटी) के लि दक्षता परीक्षण (iv) मोची के सीधी भर्ती द्वार टिप्पण.—पद रहने के कारण द्वारा भरी जाएं	तरकार या राज्य विद्यालय से मैट्रि की दशा में सम् की विहित स्की दंड । लिए विज्ञापन में ए यथाविहित शा और लिखित श ट्रेड में निपुण व (11) । धारी के प्रतिनियु हुई रिक्तियां सी गी। (13) र करने के लिए	क या समतुल्य या.१ ततुल्य सैन्य अर्हता । म के अनुसार शारीरि उल्लिखित कांस्टेबल रीरिक मानक परीक्षा रोक्षा में अ्र्हक होन होना चाहिए ।  क्ति पर धी भर्ती	मृतपूर्व  (साधारण /शारीरिक ा चाहिए ।  मिति :— न अधिकारी	<del></del>	के विवेव जा सक (12) लागू नहीं होता	और सक्षम प्राधिकारी भानुसार आगे बढ़ाई ती है ।

•					i e	, .	• .
12		THE G	AZETTÉ OF	INDIA : EXTR	ORDÍNARY	, 	[PART II—SE
(1,)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	•	(7)
11. कांस	टेबल 1124*(2010)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होत	Π	18 और 23 वर्ष के
ं (दर्जी	~	सेवा, समूह 'ग',	(5200-		,	•	(अनुसूचित जातियो
•		) (अननुसचिवीय)	20200 रु.)			•	अनुसूचित जनजाति
, '	. *कार्यभार के	(योधक)	ग्रेड वेतन			•	दशा में 5 वर्ष तक
	ं आधार पर		2000 ফ.				अन्य पिछड़े वर्ग के
	परिवर्तन किया			. '_	, ,	-	अभ्यर्थियों की दशा
	्जा सकता है		•				वर्ष तक शिथिल क सकती है)
_							् <b>टिप्पण</b> ः प्रत्येक ग
• •				•	•	. <del>.</del>	आर्यु-सीमा अवधार
		•	•		,		के लिए निर्णायक र
•		_		•		•	विज्ञापन में उल्लिख
		•			•	,	अन्तिम तारीख होर्ग
	*.	<del>, -,</del>		· ·	<del></del>	•	
	(8)	<u> </u>		(9)			(10)
<del></del>			<u> </u>	ागू <b>नहीं</b> होता	<del></del>		र सक्षम प्राधिकारी
चिकित्सा (iii) भत	कार की विहित स्की :मानदंड । र्षि के लिए विज्ञापन में	उल्लिखित कास्टेबर	रिक और ल (साधारण				
चिकित्सा (iii) भत इ्यूटी) व दक्षता पर्र	कार की विहित स्की मानदंड । मिं के लिए विज्ञापन में में लिए यथाविहित श ोक्षण और लिखित	ाम के अनुसार शारी उल्लिखित कास्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अईक हो	रिक और ल (साधारण ज्ञा/शारीरिक				
चिकित्सा (iii) भत इ्यूटी) व दक्षता पर्र	कार की विहित स्की मानदंड। ोि के लिए विज्ञापन में के लिए यथाविहित श	ाम के अनुसार शारी उल्लिखित कास्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अईक हो	रिक और ल (साधारण ज्ञा/शारीरिक				
चिकित्सा (iii) भत इ्यूटी) व दक्षता पर्र	कार की विहित स्की मानदंड । मिं के लिए विज्ञापन में में लिए यथाविहित श ोक्षण और लिखित	म के अनुसार शारी उल्लिखित कांस्टेबर गरीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अर्हक हो ग्रोना चाहिए ।	रिक और ल (साधारण ज्ञा/शारीरिक		(12)		
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता पर्र (iv) दज सोधी भत	कार की विहित स्की मानदंड। मिं के लिए विज्ञापन में के लिए यथाविहित श ोक्षण और लिखित मिं के ट्रेड में निपुण ह	म के अनुसार शारी उल्लिखित कास्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अईक हो होना चाहिए ।	रिक और ल (साधारण ज्ञा/शारीरिक		(12) लागू नहीं होत		
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता पर्र (iv) दज सोधी भत टिप्पण	कार की विहित स्की मानदंड । र्ति के लिए विज्ञापन में के लिए यथाविहित श ोक्षण और लिखित र्ति के ट्रेड में निपुण ह (11	म के अनुसार शारी उल्लिखित कांस्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अर्हक हो होना चाहिए । )	रिक और ल (साधारण ज्ञा/शारीरिक			1	
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता पर्र (iv) दज सोधी भत टिप्पण रहने के व	कार की विहित स्की मानदंड ।  कि के लिए विज्ञापन में  के लिए यथाविहित श  के भिष्ण और लिखित  कि देड में निपुण ह  (11  पदधारी के प्रतिनिय्  कारण हुई रिक्तियां स	म के अनुसार शारी उल्लिखित कांस्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अर्हक हो होना चाहिए । )	रिक और ल (साधारण ज्ञा/शारीरिक				
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता पर्र (iv) दज सोधी भत टिप्पण	कार की विहित स्की मानदंड ।  कि के लिए विज्ञापन में  के लिए यथाविहित श  के भिष्ण और लिखित  कि देड में निपुण ह  (11  पदधारी के प्रतिनिय्  कारण हुई रिक्तियां स	म के अनुसार शारी उल्लिखित कांस्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अर्हक हो होना चाहिए । )	रिक और ल (साधारण ज्ञा/शारीरिक				
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता पर्र (iv) दज सोधी भत टिप्पण रहने के व	कार की विहित स्की मानदंड ।  कि के लिए विज्ञापन में  के लिए यथाविहित श  के भिष्ण और लिखित  कि देड में निपुण ह  (11  पदधारी के प्रतिनिय्  कारण हुई रिक्तियां स	म के अनुसार शारी उल्लिखित कांस्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अर्हक हो होना चाहिए । )	रिक और ल (साधारण ज्ञा/शारीरिक			1	
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता पर्र (iv) दज सोधी भत टिप्पण रहने के व	कार की विहित स्की मानदंड ।  कि के लिए विज्ञापन में  के लिए यथाविहित श  के भिष्ण और लिखित  कि देड में निपुण ह  (11  पदधारी के प्रतिनिय्  कारण हुई रिक्तियां स	म के अनुसार शारी उल्लिखित कांस्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अर्हक हो होना चाहिए । )	रिक और ल (साधारण ज्ञा/शारीरिक			(14)	
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता परं (iv) दज सीधी भत टिप्पण,- रहने के व द्वारा भरी	कार की विहित स्क मानदंड । र्ति के लिए विज्ञापन में के लिए यथाविहित श के लिए यथाविहित श कि प्रेड में निपुण ह (11 मिं द्वारा । —पदधारी के प्रतिनिय् कारण हुई रिक्तियां सं जाएंगी ।	ाम के अनुसार शारी उल्लिखित कास्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अर्हक हो होना चाहिए । )  ुक्ति पर होधी भर्ती	रिक और ल (साधारण _{सा} /शारीरिक ाना चाहिए ।		लागू नहीं होत	(14)	होता
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता पर्र (iv) दज सीधी भत टिप्पण,- रहने के र	कार की विहित स्क मानदंड । र्ति के लिए विज्ञापन में से लिए यथाविहित श केशण और लिखित र्ती के ट्रेड में निपुण ह (11 पदधारी के प्रतिनिय् कारण हुई रिक्तियां से जाएंगी । (13)	म के अनुसार शारी उल्लिखित कास्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अईक हो होना चाहिए । ) विका पर विभागीय प्रोन्नित र	रिक और ल (साधारण ता/शारीरिक ाना चाहिए।		लागू नहीं होत		होता
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता परं (iv) दज सीधी भत टिप्पण रहने के द द्वारा भरी पुष्टि पर (i) उप-	कार की विहित स्क मानदंड । र्ति के लिए विज्ञापन में के लिए यथाविहित श क्षेत्रण और लिखित र्ति के ट्रेड में निपुण ह (11 निद्वारा । —पदधारी के प्रतिनिद् कारण हुई रिक्तियां से जाएंगी । (13) विचार करने के लिए महानिरीक्षक/कमांडेंट	म के अनुसार शारी उल्लिखित कांस्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अर्हक हो होना चाहिए । ) पुक्ति पर ोधी भर्ती विभागीय प्रोन्नित र	रिक और ल (साधारण ता/शारीरिक ाना चाहिए। सिमिति:—		लागू नहीं होत	(14)	होता
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता परं (iv) दज् सोधी भत टिप्पण रहने के व द्वारा भरी  पुष्टि पर (ii) उप-	कार की विहित स्क मानदंड । र्ति के लिए विज्ञापन में से लिए यथाविहित श केशण और लिखित र्ती के ट्रेड में निपुण ह (11 पदधारी के प्रतिनिय् कारण हुई रिक्तियां से जाएंगी । (13)	म के अनुसार शारी उल्लिखित कास्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अईक हो होना चाहिए । ) विका पर विभागीय प्रोन्नित र	रिक और ल (साधारण ता/शारीरिक ाना चाहिए । समिति :— सीन अधिकारी		लागू नहीं होत	(14)	होता
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता परं (iv) दज् सोधी भत टिप्पण रहने के व द्वारा भरी  पुष्टि पर (ii) उप-	कार की विहित स्क मानदंड । र्ति के लिए विज्ञापन में रेते लिए यथाविहित श रेक्षण और लिखित र्ति के ट्रेड में निपुण ह (11 मिं द्वारा । पदधारी के प्रतिनिय् कारण हुई रिक्तियां से जाएंगी । (13) विचार करने के लिए महानिरीक्षक/कमांडेंट कमांडेंट	म के अनुसार शारी उल्लिखित कांस्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अर्हक हो होना चाहिए । ) विका पर ोधी भर्ती विभागीय प्रोन्नित स्	रिक और ल (साधारण ता/शारीरिक ाना चाहिए । समिति :— सीन अधिकारी		लागू नहीं होत	(14)	होता
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता परं (iv) दज सीधी भत टिप्पण,- रहने के व द्वारा भरी  पुष्टि पर (ii) उप- (iii) सह	कार की विहित स्क मानदंड । र्ति के लिए विज्ञापन में रेते लिए यथाविहित श रेते किए यथाविहित श रेते के ट्रेड में निपुण ह (11 र्ति द्वारा । —पदधारी के प्रतिनिय् कारण हुई रिक्तियां से जाएंगी । (13) विचार करने के लिए महानिरीक्षक/कमांडेंट कमांडेंट प्रायंक कमांडेंट	म के अनुसार शारी उल्लिखित कांस्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अर्हक हो होना चाहिए । ) पुक्ति पर ोधी भर्ती —पीठार —सदस्य	रिक और ल (साधारण ता/शारीरिक ाना चाहिए। समिति:— सीन अधिकारी प्रा	(5)	लागू नहीं होत	(14)	
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता परं (iv) दज सीधी भत टिप्पण,- रहने के र द्वारा भरी (ii) उप (iii) सह	कार की विहित स्क मानदंड । र्ति के लिए विज्ञापन में के लिए यथाविहित श रेड में निपुण ह (11 र्ति द्वारा । —पदधारी के प्रतिनिय् कारण हुई रिक्तियां सं जाएंगी । (13) विचार करने के लिए महानिरीक्षक/कमांडेंट कमांडेंट (2)	म के अनुसार शारी उल्लिखित कांस्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अर्हक हो होना चाहिए । ) विभागीय प्रोन्नित स — पीठार — सदस्य — सदस्य (3)	रिक और ल (साधारण ता/शारीरिक ाना चाहिए। समिति:— सीन अधिकारी प्राा	(5) त्याग नहीं होता	लागू नहीं होत	(14) लागू नहीं ',	(7)
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता परं (iv) दज सीधी भत टिप्पणा- रहने के र ह्यारा भरी (ii) उप- (iii) उप (iii) सह (1)	कार की विहित स्क मानदंड । र्ति के लिए विज्ञापन में रेते लिए यथाविहित श रेते किए यथाविहित श रेते के ट्रेड में निपुण ह (11 र्ति द्वारा । —पदधारी के प्रतिनिय् कारण हुई रिक्तियां से जाएंगी । (13) विचार करने के लिए महानिरीक्षक/कमांडेंट कमांडेंट प्रायंक कमांडेंट	म के अनुसार शारी उल्लिखित कांस्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अर्हक हो होना चाहिए । ) पुक्ति पर ोधी भर्ती —पीठार —सदस्य	रिक और ल (साधारण ता/शारीरिक ाना चाहिए। समिति:— सीन अधिकारी प्रा	(5) लागू नहीं होता	लागू नहीं होत	(14) लागू नहीं ',	(7) 18 और 23 वर्ष के
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता परं (iv) दज सीधी भत टिप्पणा- रहने के र ह्यारा भरी (ii) उप- (iii) उप (iii) सह (1)	कार की विहित स्क मानदंड । र्ति के लिए विज्ञापन में रेते लिए यथाविहित श रेते लिए यथाविहित श रेते प्रेंड में निपुण ह (11 र्ति द्वारा । —पदधारी के प्रतिनिय् कारण हुई रिक्तियां से जाएंगी । (13) विचार करने के लिए महानिरीक्षक/कमांडेंट कमांडेंट रायक कमांडेंट रायक कमांडेंट (2)	म के अनुसार शारी उल्लिखित कांस्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अर्हक हो होना चाहिए। ) विभागीय प्रोन्नित स् —पीठार —सदस्य —सदस्य (3) साधारण केन्द्रीय	सिक और ल (साधारण ता/शारीरिक ाना चाहिए। सिमिति:— सीन अधिकारी य I य II (4) वेतन बैंड-1	<del> </del>	लागू नहीं होत	(14) लागू नहीं ',	(7) 18 और 23 वर्ष के (अनुसूचित जातियों,
चिकित्सा (iii) भत इयूटी) व दक्षता परं (iv) दज सीधी भत टिप्पणा- रहने के र ह्यारा भरी (ii) उप- (iii) उप (iii) सह (1)	कार की विहित स्क मानदंड । ति के लिए विज्ञापन में के लिए यथाविहित श ोक्षण और लिखित ति के ट्रेड में निपुण ह (11 ति द्वारा । —पदधारी के प्रतिनिय् कारण हुई रिक्तियां से जाएंगी । (13) विचार करने के लिए महानिरीक्षक/कमांडेंट कमांडेंट प्रायक कमांडेंट (2) विल 450*(2010) हेंड) *कार्यभार के	म के अनुसार शारी उल्लिखित कांस्टेबर ारीरिक मानक परीक्ष परीक्षा में अर्हक हो होना चाहिए। ) विभागीय प्रोन्नित स् — पीठार — सदस्य — सदस्य — (3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग',	सिक और ल (साधारण ता/शारीरिक ाना चाहिए। सिमित :— सीन अधिकारी प्र II (4) वेतन बैंड-1 (5200-	<del> </del>	लागू नहीं होत	(14) लागू नहीं ',	(7) 18 और 23 वर्ष के

[भाग । —खण्ड ३(१)]		नारत पा	ा राजपत्र : असाव	1401		- <u>-</u>	15
· c ;				•		. (7)	)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					अभ्यर्थियों की वर्ष तक शिथि सकती है)	
		•				सकता ह)  टिप्पण : प्रत्  आयु-सीमा अ  के लिए निर्णा  विज्ञापन में उर्	वधारण करने पक तारीख
						अन्तिम तारीख	
(8)			(9)			(10)	· ·
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरक	•		 गू नहीं होता			: सक्षम प्राधिका	
बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य		पूर्व 🗼	-	•	के विवेकान् जा सकती	रुसार आगे बढ़ाई है ।	
(ii) सरकार की विहित स्कीम के चिकित्सा मानदंड ।		और			WI (III)	ę i	
(iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लि इयुटी) के लिए यथा विहित शारीरि						٠.	,
दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा (iv) ब्रास बैंड के ट्रेड में निपुण हो	में अईक होता च				٠.	•	
	· .			-			
(11)			<u></u>	(12)			
सीधी भर्ती द्वारा ।				लागू नहीं हे	ता		
टिप्पण,—पदधारी के प्रतिनियुक्ति रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी ध द्वारा भरी जाएंगी।							, 
(13)					(14)		
पुष्टि पर विचार करने के लिए		———` ते यप्रिति ः—	<del></del>		लागू नहीं '	 होता	
<ul><li>(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट</li><li>(ii) उप कमांडेंट</li></ul>	—पीठासीन —सदस्य I					em	
(iii) सहायक कमांडेंट	—सदस्य ॥	· .	<u> </u>		<del></del>		
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	· 
13. कांस्टेबल 180*(2010) साध (पाइप बैंड) *कार्यभार के सेव	गरण केन्द्रीय है ।, समूह 'ग', (	ोतन बैंड-1 5200- 0200 रु.)	लागू नहीं होता		ोता	18 और 23 व (अनुसूचित ज अनुसूचित जन	र्ष के बीच तियों/
	धक) ग्रे	0200 स.) विज्ञ वितन 0000 रु.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			दशा में 5 वर्ष अन्य पिछड़े वर्ग की दशा में 3 शिथिल की ज	तक और के अभ्यर्थियों वर्ष तक
	~				;	शियल का ज टिप्पण : प्रत्ये आयु-सीमा अ	कि मामले मे

और स्त्रियां 9) (अननुसचिवीय) 20200 रु.) अनुसूचित जनजातियों की *कार्यभार के (योधक) ग्रेड वेतन दशा में 5 वर्ष तक और आधार पर 2000 চ্. अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों परिवर्तनं किया की दशा में 3 वर्ष तक जा सकता है शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी ।

. (8	)	<u> </u>	,	(9)			(10)
		त्य सरकार द्वारा म ट्रिक या समतुल्य		लागू नहीं होता			र सक्षम प्राधिकारी नुसार आगे बढाई
		ाट्रकाऱ्या समगुरया पतुल्य सैन्य अर्हता			•	क ।पपका जा सकती	•
		न्तुरय सन्य ज़ल्ला कीम के अनुसार			. ,	जा सकता	6 1
भौर चिकित्स		नगम पर उत्पुरगर	(11(11(4)	<b>r</b>			•
	•	उल्लिखित कांस्टेबर	न (साधारण				
	-	गरीरिक मानक परी			•		
,		ररीक्षा में अर्हक हो			•		
(iv) माली ट्रे	इंड में निपुण होन	। चाहिए ।				·	
					,	3	
(1	1) ·	<u>.</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(12)		
सीधी भर्ती द्वा	रा ।			~	——— गागू नहीं होता	<b>\</b>	
	धारी के प्रतिनियु			•		٠	· . ·
	ा _{हुई} रिक्तियां सी	भी भर्ती	- 5				
प्रारा भरी जाएं	गी । ———————	· .	<u> </u>		·		·
	-					×.	
	(13)					(14)	•
iii) सहायक	- कमाडट 	—सदस्य —				<u> </u>	<u> </u>
1),	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(7)
5. कास्टेबल	4500*(2010)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-!	लागू नहीं होता	— <del>्</del> लागू नर्ह	होता 💮	18 और 23 वर्ष के बीच
(बिगुलर)	(पुरुष ४४३८	सेवा, समूह 'ग',	(5200-		. 1		(अनुसूचित जातियों/
•		(अननुसचिवीय)	20200 रु.)	•			अनुसूचित जनजातियों क
	*कार्यभार के	(योधक)	ग्रेड वेतन				दशा में 5 वर्ष तक औ
	आधार पर परिवर्तन किया		2000 চ.				अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों
	पारवतन किया जा सकता है।					•	की दशा में 3 वर्ष त शिथिल की जा सकती है
	जा तकता ए ।						टिप्पण : प्रत्येक मामले
	_						आयु-सोमा अवधारण क
							के लिए निर्णायक तारीख
					•		विज्ञापन में उल्लिखि
				·	1		अन्तिम तारीख़ होगी ।
		•					
(8)	)			(9)		<u> </u>	(10)

[ HITI II—@	us 3(1)]	<del></del>	मारत	का राज्यत्र : असाव	।रण		
(	11),				. (12)	,	
सीधी भर्ती द्वा	रा।	•		7	तागू नहीं होता		
टिप्पूर्ण.—प	दधारी के प्रतिनियु	रुक्ति पर	•				
रह <i>ने के</i> कारप	ण हुई रिक्तियां सी	गिधी भर्ती				•	
द्वारा भरी जाए	रंगी ।			-			
	(13)				:	(14)	
पुष्टि पर वि	चार करने के	लिए विभागीय प्रो	नित समिति :		, लाग	ू नहीं होता	· ·
(i) उप-मह	ानिरीक्षक/कमांडेंट	ट —पीठार्स	ोन अधिकारी		•		
(ii) उप <b>क</b> म	गांडेंट	—सदस्य	I			•	
(iii) सहायव	क कमांडेंट	सदस्य	ii ·				
		- <del></del>		<u> </u>			•
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
17. हैड	255*(2010)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	् लागू	नहीं होता
कांस्टेबल	*कार्यभार	सेवा, समूह 'ग',	(5200-		<del>-</del> -		
(बढ़ई)	के आधार	(अननुसचिवीय)	20200 रु.)				
	पर परिवर्तन	(योधक)	ंग्रेड वेतन				
	किया जा		2400 ক.				
	सकता है ।				•		•
(8	3)			(9)		(10)	
लागू नर्ह	ों होता	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	नागू नहीं होता		लागू नहीं	होता
		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	·	
(11	) .				(12)		
प्रोन्ति	त द्वारा		·	(i) ऐसा क	गंस्टेबल (बढ़ई) जिस	ाने उस श्रेणी म <del>ें</del>	ने पांच वर्ष नियमित
			·	सेवा की हो	F		
	1.5			(ii) जिन्हें	iने आवश्यकतानु <mark>सा</mark>	र समय-समय	र पर महानिदेशक
•				केन्द्रीय रिज	र्व पुलिस बल द्वारा र्	वेहित ट्रेड में प	पूर्व-प्रोन्नति/प्रोन्नति
				पाठ्यक्रम य	n कोई अन्य पा <mark>ठ्यक्र</mark>	म उत्तीर्ण कि	याहों।
			•	(iii) चिकि	त्त्सा वर्ग 'शेप−एक '	का होना चारि	हुंए।
		•		(iv) अच्छ	ग सेवा अभिलेख रख	व्रताहो।	
		-		टिप्पण 1	—जहां ऐसे <b>क</b> निष्ठ	व्यक्तियों के	संबंध में, जिन्होंने
				अपनी अर्हव	क/पात्रता सेवा पूरी ब	<b>ब</b> र ली है, प्रोन	नित के लिए विच
	,	<b>\</b>	٠.	किया जा रह	ा हो वहां उनसे ज् <b>येष</b>	उ <b>व्यक्ति</b> यों के	संबंध में भी विचा
					गा परन्तु यह तब <b>ज</b>		•
	•				ा सेवा, अपेक्षित अ <del>ह</del> ी		
		•		से या दो वा	र्ष से, इनमें से जो भी	ो कम हो, का	म न हो और उन्हों
		•		अपने ऐसे व	कनिष्ठ व्यक्तियों स	हित, जिन्होंने	ऐसी अईक/पात्रत
			•		ही पूरी कर ली है, अ		
					परिवीक्षा की अवधि		
			•	•	—प्रोन्नति के लिए न्य	-,	**
	A Committee of the Comm						
-	•						
-	•			प्रयोजन के	लिए 1-1-2006 के आधार पर पुनरीपि	से पूर्व अधि	कारी द्वारा नियमि

पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड वेतन में की गई २

समझी जाएगीं ।

(13)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(14)	
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट -	—पीठासीन अधिकारी		लागू नहीं होता	
(ii) उप कमाडेंट - (iii) सहायक कमांडेंट - (iv) एक सदस्य जिसे संबंधित	—सदस्य । सदस्य ॥	· . ·		
	—सह-सदस्य			
	•			
(1) (2) (3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कांस्टेबल *कार्यभार सेवा, समू (मोची) के आधार (अननुसन्	केन्द्रीय वेतन बेंड-1 ह 'ग', (5200- व़वीय) 20200 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता 🕻
कियाः जार्यः । सकता है ।	য়াত হ <b>2400 চ.</b> চ্চ্	and the second	i da garan da karan da karan Karan da karan da ka	
1				7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(8)	•	(9)	. (	10)
लागू नहीं होता	- : - ला	ग् नहीं होता	लागू -	नहीं होता
(11)		5	(.12)	

- (ii) जिन्होंने आवश्यकतानुसार समय-समय पर महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विहित ट्रेड में पूर्व-प्रोन्नति/प्रोन्नति पाठ्यक्रम या कोई अन्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो ।
- (iii) चिकित्सा वर्ग 'शेप-एक' का होना चाहिए।
- (iv) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो ।

टिप्पण 1.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगां परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अईक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.—प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार दिया गया है ऐसी सेवा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड बेतन में की गई सेवा समझी जाएगी।

ार्क हरू चर्च वर्षेक्ष प्राप्तुः कर्ष के बीचनंत्र- 1 कावरी TOR THEST OF THE ALMS IT I WAS TO PROPER रे के हैं है अपने पर कि से जा बेम्स के उस की जिल स किएक एवा रक्ष , ऐसा महा आवाग को केकारियों कर

[भाग ।।—खण्ड 3(1)]	<u> </u>	भारत का राज	पत्र : असाधारण		
(13)				(14)	
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट	—पीठासीन अ	————— धकारी		लागू नहीं होता	
(ii) उप कमांडेंट	—सदस्य I	771(1		THE TENED	•
iii) सहायक कमांडेंट	सदस्य II		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
iv) एक सदस्य जिसे संबंधित					•
ट्रेड का समुचित ज्ञान हो	—सह-सदस्य				
1) (2) .	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. हैड 295*(2010)	साधारण केन्द्रीय	 वेतन बैंड-I	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
कांस्टेबल (पुरुष 289 और	सेवा, समृह 'ग',	(5200-		The second	Cu L ici, com
(दर्जी) स्त्रियां 6)	(अननुसचिवीय)	(3200 20200 रु.)	* ***	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
*कार्यभार	(योधक)	20200 रु. <i>)</i> ग्रेड वेतन			-
के आधार के आधार	( पापपर)				
क आधार पर परिवर्तन		2400 ফ.			
		• .	•		-
किया जा		•	•		
सकता है।					
	•	,,			,
(8)		(9)		(10)	
लागू नहीं होता		लागू नह	— ो होता	लागू नहीं ह	ोता
प्रोन्नति द्वारा				(दर्जी) जिसने उस श्रेणी म	मं पांच वर्ष नियमित
		-	सेवा की है।		<del> </del>
A Company of the Comp		•		प्रयकतानुसार समय-सम	
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			उबल द्वारा विहित ट्रेड में असर सम्बद्धाः चार्याः	•
				अन्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कि	
				'शेप-एक' का होना चार्	हए ।
			(IV) अच्छा सवा	अभिलेख रखता हो ।	
		<u>:</u> -	टिप्पण 1.—जहां	ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के	संबंध में, जिन्होंने
,			अपनी अर्हक/पात्रता	सेवा पूरी कर ली है, प्रोन	नित के लिए विचा
			किया जा रहा हो वह	ां उनसे ज्येष्ठ [ं] व्यक्तियों के	संबंध में भी विचार
			किया जाएगा परन्तु	यह तब जब कि उनके	द्वारा की गई ऐसी
			, -	अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा	•
		•		तमें से जो भी कम हो, क	_
				व्यक्तियों सहित, जिन्होंने	
	en e Ag	•		<b>कर ली है, अगली उच्चतर</b>	
		•		॥ की अवधि सफलतापूर्व	· ·
				•	
				। के लिए न्यूनतम अर्हक र रि. २००८ ने मर्च अर्हिक	
				-1-2006 से पूर्व अधि	
				र पर पुनरीक्षित वेतन संर	
				है ऐसी सेवा आयोग को ि	
			पर विस्तारित तत्स्थ	ानी वेतनमान और ग्रेड वे	तन में की गई सेव

समझी जाएगी ।

(13)	- (14)
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट —पीठासीन अधिकारी (ii) उप कमांडेंट —सदस्य I	लागू नहीं होता
(iii) सहायक कमार्डेंट —स्दस्य II	
(iv) एक सदस्य जिसे संबंधित	
ट्रेड का समुचित ज्ञान हो —सह-सदस्य	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(1) (2) (3) (4)-	(5) (6) (7)
20. हैंड 126*(2010) साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड- कांस्टेबल *कार्यभार सेवा, समूह 'ग', (5200-	1 लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता
(ब्रास बेंड) के आधार (अननुसचिवीय) 20200 रु.	)
पर परिवर्तन (योधक) ग्रेड वेतन	
किया जा 2400 रु. सकता <b>है</b> ।	
(8)	(9) (10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता लागू नहीं होता
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(11)	(12)
प्रोन्नित द्वारा	<ul><li>(i) ऐसा कांस्टेबल (ब्रास बैंड) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</li></ul>
	(ii) जिन्होंने आवश्यकतानुसार समय-समय पर महानिदेशक
	केन्द्रीय रिजर्ष पुलिस बल द्वारा विहित ट्रेड में पूर्व-प्रोन्नति/प्रोन्नति
	पाठ्यक्रम या कोई अन्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो ।
	(iii) चिकित्सा वर्ग 'शेप–एक' का होना चाहिए। (iv) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो।
	•
	टिप्पण 1.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी <b>अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रो</b> न्नित के लिए विचार
	किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार
	किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी
	अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक
	से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता
	सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्ति के
	लिए अपनी <b>परिवीक्षा</b> की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
•	टिप्पण 2.—प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अईक सेवा की संगणना के
	प्रयोजन के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित
	सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को जिस तारीख
•	से विस्तार दिया गया है ऐसी सेवा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड वेतन में की गई सेवा
• .	막 다음(1070 이미국사)의 대전됩니다 속이가 내용 점점된 내 사이 기존 되지?
	समझी जाएगी ।

	9 3(1)1		.1170	171 (1-117) . 91(11	-11 · 1		
	(13)		_		(14)		
(i) उप-मह (ii) उप कमा	ानिरीक्षक/कमांडेंर डिंट	ट , —पीठार्स —सदस्य	ोन अधिकारी 1		लागू नहीं ह	ोता	
(iii) सहायक	•	—सदस्य		•		200 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -	4
=	' फनाइट (स्य जिसे संबंधित	-	11				
					e de la companya de		
<u>.</u> ट्रंड क	समुचित ज्ञान ह	ो —सह-स —	<u>५स्य</u>			<del></del>	•
_				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			<u>.</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
21. हैड	68*(2010)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
कांस्टेबल	*कार्यभार	सेवा, समूह 'ग',	(5200-				
(पाइप बैंड)	के आधार	(अननुसचिवीय)	20200 চ.)	e ·		1	
	पर परिवर्तन	(योधक)	ग्रेड वेतन	•			
	किया जा	· · · · · /	2400 ক.			. •	
	सकता है।		2,00 (.			÷	
(8	)			(9)		(10)	
लागू नहीं	होता	•	<del>~</del>	नागू नहीं होता	लाग्	्नहीं होता	
						<u>^</u>	
		·			•		
	(11)				(12)		
प्रोन	नित द्वारा				कांस्टेबल (पाइप बैंड)	जिसने उस	श्रेणी में पांच वर्ष
					ोवाकी है।		
		,			<b>होंने आवश्</b> यकतानुसार		
		•	•	∞केन्द्रीय रि	<b>जर्व पुलिस ब</b> ल द्वारा	विहित ट्रेड मे	i पूर्व-प्रोन्नति/प्रोन्नति
				पाठ्यक्रम	या कोई अन्य पाठ्यक्र	म उत्तीर्ण किर	पाहो ।
		•	•	(iii) चि	कित्सा वर्ग 'शेप-एक'	का होना चाहि	इए ।
		· •	•	•	छा सेवा अभिलेख रख		
							1 - 2 0 VI
				and the second s	जहां ऐसे कनिष्ठ		
	•		1.		ईक/पात्रता सेवा पूरी क		
•		*.		किया जा	रहा हो वहां उनसे ज्येष्ट	व्यक्तियों के	संबंध में भी विचार
	•	•		किया जा	एगा परन्तु यह तब जब	कि उनके	द्वारा की. गई ऐसी
		·	-	अर्हक/पात्र	<mark>ता सेवा</mark> , अपेक्षित अर्हव	<b>ь/पात्रता</b> सेवा	के आधे से अधिक
		•	. *		वर्ष से, इनमें से जो भी		
•			·		कनिष्ठ व्यक्तियों सर्वि		,
					ही पूरी कर ली है, अ		
	* .	1	*	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	ी परिवीक्षा की अवधि		•
		•	. 1	-			*
		1		टिप्पण 2	.—प्रोन्नति के लिए न्यू	नतम अर्हक सं	वा की संगणना के
•			•	प्रयोजन व	<b>हे लिए</b> 1−1−2006 उ	से पूर्व अधिव	<b>जरी द्वारा नियमित</b>
		۰	•		के आधार पर पुनरीक्षि	**	
				-	दिया गया है ऐसी सेवा		
				the state of the s	रित तत्स्थानी वंतनमान		
	,	r		समझी जा		,5	
				्राः। स्राः आर	No. 10 (1)		

(13),	(14)
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट — पीठासीन अधिकारी	ं ः ः ेलागू नहीं होताः 🖟 . ं ः ।
(ii) उप कमाडेंट — सदस्य I	and the second of the second o
(iii) सहायक कमांडेंट — सदस्य II	) which the state of the state
(iv) एक सदस्य जिसे संबंधित	
ट्रेड का समुचित ज्ञान हो , —सह~सदस्य	70.
***************************************	
<u> </u>	
(1) (2) (3) (4) (5)	) (6) (7)
22. कांस्टेबेल 6486*(2010) साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड-1 लागू	नहीं होता ं लागू नहीं होता । 18 और 23 वर्ष के बीच
(खाना (पुरुष 6382 सेवा, समूह 'ग', (5200-	(अनुसूचित जातियों/
बनाने और स्त्रियां 104) (अननुसचिवीय) 20200 रु.)	ं अनुसूचित जनजातियों की .
वाला) *कार्यभार के (योधक) ग्रेड वेतन	दशा में 5 वर्ष तक और
रसोइया आधार पर 2000 रु.	अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों
परिवर्तन किया	की दशा में 3 वर्ष तक
जा सकता है ।	शिथिल की जा सकती है)।
	आयु सीमा अवधारण करने
المراقب المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المراقبة المراقبة المراقبة ال	के लिए निर्णयक तारीख
and the second s	ें विज्ञापन में उल्लिखित
	अन्तिम तारीख होगी ।
	जाका काल हाम ।
(8)-	) - (10)
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त लागू नहीं	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व	के विवेकानुसार आगे बढ़ाई
सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्यु अर्हता ।	जा सकती है ।
(ii) कांस्टेबल (साधारण <b>ड्यू</b> टी) के लिए यथा विहित	जा समाता है।
शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षण	•
(iii) रसोइया के ट्रेंड में निपुण होना चाहिए ।	
(111) रताश्या के देव में मिनुन होगा जाहिए।	
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर	
रहने के कारण हुई रिक्तियाँ सीधी भर्ती	
द्वारा भरी जाएंगी।	
(13)	(14)
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट —पीठासीन अधिकारी	लागू नहीं होता
(ii) उप कमाईंट —सदस्य I	Su greet dist
(iii) सहायक कमांडेंट —सदस्य II	• •
AMA Merana armon . — AMA II	

(8)		(9)		(10)
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ह बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या सर		पू नहीं होता		—————————————————————————————————————
सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सै	न्य अर्हता । 📄 📜		जा सकती	है। -
(ii) कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के ति शारीरिक और चिकित्सा मानक ।	गए यथा विहित	•		
(iv) वाशर मैन/वाशर वूमैन ट्रेड में नि	पण होने चाहिए ।			
	3			<u></u>
(11)	1		13)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·	<u> </u>	<del></del>	12)	<u> </u>
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण,—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर		लागू नः	हो होता	
रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती				
द्वारा भरी जाएंगी ।				
				<u> </u>
(13)	·	•	(14)	
पुष्टि पर विचार करने के लिए वि			लागू नहीं	होता
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट		—पीठासीन अधिव		
(ii) उप कमांडेंट	,	—सदस्य I		
(iii) सहायक कमांडेंट		—सदस्य ॥		,
(1). (2) (3	) (4)	(5)	(6)	(7)
	<del></del>	<u> </u>	गू नहीं होता	18 और 23-वर्ष के बीच
(जलवाहक) (पुरुष 3820, सेवा, स	मूह ['] ग', -(5200-	(1) (4) (4)	T 161 61/11	(अनुसूचित जातियों)
	चिवीय) 20200 रु.)	•	•	अनुसूचित जनजातियों ्की
. *कार्यभार के (योधक				दशा में 5 वर्ष तक और
. आधार पर	2000 হ.		•	अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों
परिवर्तन किया				की दशा में 3 वर्ष तक
जा सकता है ।		<b>、</b>		शिथिल की जा सकती है)
			•	<b>टिप्पण</b> : प्रत्येक मामले मे
	•			आयु सीमा अवधारण करने
1		•	•	के लिए निर्णयक तारीख
	•			विज्ञापन में उल्लिखित
		····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	अन्तिम तारीख होगी ।
	<del></del>		<u> </u>	,
(8)		(9)		(10)
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार	द्वारा मान्यताप्राप्त लाग	्नहीं होता	दो वर्ष और	. सक्षम प्राधिकारी
बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या सम	तुल्य या भूतपूर्व			नुसार आगे बढ़ाई इसार आगे बढ़ाई
सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन		-	्जा सकती	है ।
(ii) कास्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लि शारीरिक और चिकित्सा मानक ।	ए यथा विहित		\ .	
(iii) जलवाहक ट्रेड में निपुण होना चा	हिए।		•	
(11).		(12)		. •
सीधी भर्ती द्वारा		े लागू नहीं	 ਿਵੀਗ	
<b>टिप्पण :</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर		त्यानी त्र	I QIXII	
रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती				
द्वारा भरी जाएंगी।		•		

(13)				(14)		
पुष्टि पर विचार करने के लिए विश	गगीय प्रोन्ति समिति	:-		लागू नहीं ह	होता .	
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट (ii) उप कमांडेंट (iii) सहायक कमांडेंट	—पोठासीन अधिकारी —सदस्य I —सदस्य II					
			,			
(1) (2) (3	) (4)	(5)	(6)		(7)	)
26. कांस्टेबल 4190*(2010) साधारण (सफाई (पुरुष 4130 सेवा, ग्रु कर्मचारी) और स्त्री 60) (अननुस *कार्यभार के (योधक आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	म 'ग', (5200- चिवीय) 20200 रु.)	लागू नहीं होत	। लागू नहीं होत		18 और 23 व (अनुसूचित अनुसूचित जन दशा में 5 वष् अन्य पिछड़े वर्ग की दशा में शिथिल की ज टिप्पण : प्रत्थे	ं जातियों/ जातियों की ितक और के अभ्यर्थि 3 वर्ष तव । सकती है
					आयु-सीमा अव के लिए निर्णय विज्ञापन में अन्तिम तारीख	वधारण कर प्रक तारीख उल्लिखित
,					:	
(8)		(9)	<u> </u>	(	(10)	
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वा बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या सम सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन (ii) कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लि शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता (iii) सफाई कर्मचारी ट्रेड में निपुण होन	तुल्य या भूतपूर्व य अर्हता । ए यथा विहित परीक्षण ।	लागू नहीं होता	੍ਰ ਕ		सक्षम प्राधिकार सार आगे बढ़ाई	<u> </u>
			(10)			
(।।) सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर	<u>.</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(12)	<del>- , · -</del>		
रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी ।				· .		
			· -			•
(13)				(14)		
पुष्टि पर विचार करने के लिए विभ	गगीय प्रोन्ति समितिः	<del></del> ,	लागू नह	ीं होता		
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट (ii) उप कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी —सदस्य I		• .			•

एस. सी. शिवाजी राव, उप-सचिव (कार्मि

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2010

G.S.R. 614(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Group 'C' and 'D' (General Duty/Tech/Tradesmen Cadre (Non-Gazetted) (male/female) and Group 'D' (Enrolled Followers) (male/female) Recruitment Rules, 2001, in so far as they relate to the posts of Groups 'C' and 'D' (General Duty/Tech/Tradesmen Cadre (male/female) and Group 'D' (Enrolled Followers) (male/female) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts in the Central Reserve Police Force General Duty Cadre, Technical Cadre and Tradesmen (Male/Female) under the Ministry of Home Affairs, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Group 'C' (General Duty/Technical/Tradesmen) Cadre Recruitment Rules, 2010.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—
  - (a) "Director General" means the Director General, Central Reserve Police Force;
  - (b) "Competent authority" means the appointing authority or the authority referred to in the Central Reserve
     Police Force Act, 1949 and Central Reserve Police Force Rules, 1955
  - (c) "SHAPE-ONE" refers to the Medical Category which will be governed by the executive instructions issued from time to time by the Ministry of Home Affairs/Central Reserve Police Force.
  - (d) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meanings assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949.
  - 3. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 4. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay / Pay scale.—The number of posts, their classifications and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule aforesaid.
- 5. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
- 6. Maintenance.—Every post remained unfilled and every vacancy that may arise thereafter shall be filled in accordance with the provisions as contained in the Schedule and the procedure as may be prescribed by the Central Government from time to time.
- 7. Pre-promotional courses.—The person in the feeder rank shall be detailed to undergo, qualifying courses, before completing service eligibility period for promotion to higher rank, in order of their seniority and every such member of the Force shall, before any promotion, be required to pass pre-promotion and promotional courses referred to in the Schedules annexed herein:

Provided that if the Director General is satisfied that due to exigencies of service or other unavoidable reasons, any such member is not able to undergo the required pre-promotional courses, he may promote such member of Force, subject to passing of pre-promotional courses by such member within two years, from the date of promotion, failing which he shall be reverted to previous rank and status.

- 8. Seniority.— Seniority will be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955 and general instructions issued by the Central Government from time to time.
- 9. Appointment of Technical Personnel.—In context of these rules, except such trade which is specifically declared as technical (viz.—Armourer/Fitter/Driver) and Trades (viz.—Carpenter/Mochi/Tailor/Band) and governed under separate rules. Trades viz.—Gardener/Bugler/Painter shall be in the General Duty Cadre and the person having required qualification or experience of any such trade as may be prescribed, shall he placed to perform the duties of the trade, by the Director General, the Central Reserve Police Force.
  - 10. Disqualification.—No person,—
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment under these rule:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 11. Ineligibility of aliens.— No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these reles.
- 12. Superannuation.—(1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of Fifty seven years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire(d) from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

- (2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.
- 13. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.
- 14. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen, Sportsmen, Compassionate appointments and other special categories of persons, in accordance with the orders, issued by the Central Government from time to time, in this regard.
- 15. Interpretation —If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.

### SCHEDULE Name of No. of Classification Pay band and Whether Whether benefit . Age limit for direct post post Grade Pay/ selection of added years of recruits Pay Scale post or service admissible under Rule 30 of nonselection the Central Civil Services (Pension) post Rules, 1972 (1)(2) (3) (4) (5)(6) (7)(General 153420* General Pay Band-1 Not Not applicable Between 18 and 23 years Duty. (2010)Central (Rs. 5200applicable (5 years age relaxation in Cadre) (Male-Service 20200) plus case of Scheduled Castes/ (1)150470 Group 'C' Grade Pay Scheduled Tribes and 3 years Constable and (Nonof Rs. 2000 in case of Other Backward Female Ministerial Classes candidates. 2950) Combatant) Note: The crucial date for *Subject determination of the age limit to variation in each case shall be the cut depended of date mentioned in the upon work load. advertisement. Educational and other qualifications required Whether age and educational Period of Probation, for direct recruits qualifications prescribed for if any direct recruits will apply in the case of promotees (10)(i) Matric or equivalent from a board or university Not applicable Two years and further recognized by the Central or State Government or extendable at the equivalent Army qualification in case of Ex-Army discretion of the personnel. competent authority.

at the competent authority.

(ii) Physical and Medical Standard as per prescribed scheme of the Government. (iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable. (General Duty) mentioned in the advertisement for recruitment. Method of recruitment: Whether by direct In case of recruitment by Promotion/Deputation grade from which Promotion/Deputation to be made recruitment or by promotion or by deputation or absorption and %age of vacancies to be filled by various methods 110 (11)(12)100% by direct recruitment. Not applicable Note: Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment. Composition of Departmental Promotion Committee for Circumstances in which Union Public promotion Service Commission is to be consulted in making recruitment (13)Departmental Promotion Committee for considering Confirmation: Not applicable. (i) Deputy Inspector General/Commandant -Presiding Officer (ii) Deputy Commandant -Member-I (iii) Assistant Commandant -Member-II (1) (3)(5) (2) (4) (6). (7) (2) Head 39,845 General Pay Band-1' Non Not applicable Between 18 and 23 years Constable (2010)Central/ (Rs. 5200selection (5 years age relaxation in (Male-Service 20200) plus case of Scheduled Castes/ 39109 Group 'C' -Grade Pay-Scheduled Tribes and 3 years and (Nonof Rs. 2400 in case of Other Backward Female-Ministerial Classes candidates. 736) combatant) Note: The crucial date for *Subject determination of the age limit to variation in each case shall be the cut depended of date mentioned in the upon workload. advertisement. (9) (8) (10)(i) 10+2 or equivalent from a board or university Not applicable Two years for direct recognized by the Central or State Government or recruits and further equivalent Army qualification in case of Ex-Army extendable discretion of the

- personnel.
- (ii) Physical and Medical Standard as per the prescribed scheme of the Government.
- (iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed in the advertisement for recruitment.

(11) (12)

- (i) 95% by promotion from feeder posts.
- (ii) 5% by direct appointment on sports basis.
- (i) Constable with five years regular service in the grade as Constable including 3 years in a duty Battalion.
- (ii) Should have passed promotional Courses or any other courses prescribed by the Director General Central Reserve Police Force from time to time as per requirements.
- (iii) Should possess Medical category "SHAPE-ONE".
- (iv) Must have good record of Service.
- Note 1. Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
- Note 2. For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.

(14)				(13)	
Not applicable	Presiding Officer Member-I Member-II	ant		nspector Gener Commandant t Commandant	(ii) Deputy (
(7)	(6)	(4)	(3)	(2)	(1)
Not applicable	ot Not applicable plicable	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	605*(2010) *Subject to variation depended upon work- load.	(Technical Cadre) (3) Constable (Armourer)
(10)	(9)	<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		. (8)
Not applicable	Not applicable			le	Not applicab
,		-			
······································	· (12)			1)	(1
e	(12) eneral Duty) are being resic Armourer Course				.100% by ren

(13)			·		(14)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Not applica	ble				Not applic	able
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					<u> </u>
(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)	(6)	(7)
(4) . Constable (Fitter)	1431* (2010) *Subject to variation depended	General Central Service Group 'C' (Non-	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward
	upon work- load.	Ministerial combatant)	0.12.2000			Classes candidates).  Note: The crucial date for determining of the age-limit in each case shall be the cut-off date mentioned in the advertisement.
· .	<u> </u>			<del></del>		advertisement.
<del></del>	(8)	· · ·	-	(9)		(10)
Unive	c or equivalent in the control of th			Not applica	' / ánd fu	ears for direct recruits rther extendable at the tion of competent authority.
Certifinstitumecha (iii) Must e Efficie preser mentic	have one year of icate from ITI atton in the trade unic.  qualify Physical ency Test and wibbed for Constant oned in the arecruitment.	or any other of automobile Standard Tes ritten examinat ble (General D	recognised fitter/motor  t/Physical tion as uty)			
•	(11)			1	(12)	•
Note: Vac on deputati recruitment (i) Deputy (ii) Deputy	ecruitment or by ancies caused be on will also be t.  (13)  Inspector General Commandant of Commandant	by the incumbe filled up by dir ral/Commanda	nt being qualifect  nt —Pre		o Fitter Course.	mustered after successfully  14) ~  pplicable
				·		• • .
(1) (5) Constable (Driver)	(2) 9416* (2010) *Subject to variation depended upon work-	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial	(4) Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	(6) Not applicable	(7)  Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates for

(7) Note: The crucial date for determining of the age-limit in each case shall be the cutoff date mentioned in the advertisement. (10)(8)(9)Two years for direct recruits Matric or equivalent from a recognised Board, or Not applicable University recognised by the Central or State and further extendable at the discretion of competent authority . Government. for direct recruitment. (ii) Should be in possession of Motor Transport driving licence (Heavy Transport Vehicle) and should pass the driving test at the time of recruitment. (iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for direct recruitment. (12)(11)Constable (General Duty) are being remustered after successfully By direct recruitment or remusteration. Note: Vacancies caused by the incumbent being qualifying Driving and Mechanic Course. on deputation will also be filled up by direct recruitment. (14)(13)Not applicable Deputy Inspector General/Commandant -Presiding Officer (i) -Member-I (ii) Deputy Commandant -Member-II (iii) Assistant Commandant (2) (3).(4) (5)(6) (7)(1) Non-688* Pay Band-1 Not applicable Not applicable (6) Head General (Rs. 5200selection Constable (2010)Central *Subject Service 20200) plus (Armourer) Group 'C' Grade Pay to variation depended (Nonof Rs. 2400 Ministerial lipon workload. conbatant) (10)(9)(8) Not applicable Not applicable Not applicable (12)(11)**Promotion:** By promotion (i) Constable (Armourer) with five years regular serivce in the grade. (ii) Should have passed pre-promotional/promotional courses or any other course in trade prescribed by Director General, Central Reserve Police Force from time to time as per requirement.

- (iii) Should possess Medical category SHAPE-ONE.
- (iv) Must have good record of service.
- Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.

•				•			
-	. (13	)	-			(14)	4
(i)	Deputy Inspector (	General/Command	lant	—Presiding Offic	cer	Not applicable.	
(ii)	Deputy Command	ant		—Member-I			
(iii)	Assistant Comma	ndant		-Member-II		· , · · · ·	•
	One member havir of the trade	ng sufficient know	ledge	—Co-opted mem	nber		
				-		`	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	· (6)	. (7)	·····
(7) He Const (Fitter	able (2010)	(Non-	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2400	Non- selection	Not applicable	Not applicable	
	(8)			(9)		(10)	
Not ap	plicable nc.	9.14	•	Not applicat	ole '	Not applicable	
	(11)		· ·		(12)		
	By promotion		(ii) Sho	ould have passed er course in trade	pre-promotional/	lar serivce in the gra promotional course ector General, Centra quirement.	es or any
٠.			(ііі) She	ould possess Med	ical category SHA	PE-ONE.	·
		•	(iv) Mu	ist have good reco	ord of service.	,	1

भारत का राजपत्र : असाधारण [भाग II-खण्ड 3(i)] (12)(11)Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, which ever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission. (14)(13)Deputy Inspector General/Commandant -Presiding Officer Not required. (i) -Member-I (ii) Deputy Commandant -Member-II Assistant Commandant (iii) One having sufficient knowledge (iv) -Co-opted member of the trade (5)(6) (7)(1) (3) (4)(2)Non Not applicable (8) Head 5327* General Pay Band-1 Not applicable Constable (2010)Central (Rs. 5200selection 20200) plus Service (Driver) *Subject Group 'C' Grade Pay to variation (Nonof Rs. 2400 depended Ministerial upon work Combatant) load. (8)(9)(10)Not applicable Not applicable Not applicable (11)(12)**Promotion:** By promotion Constable(Driver) with five years regular serivce in the grade. (ii) Should have passed pre-promotional/promotional course/trade test or any other courses prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time as per requirement.

- (iii) Should possess Medical category "SHAPE-ONE"
- (iv) Must have good record of service.

Note 1. Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, which ever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith the juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.

	<u>-</u>	<u> </u>	of the	e commission.	·		nendation
	(13)	·		<u> </u>		(14)	<u> </u>
<u> </u>		1/0: 1			<u> </u>	(14)	
(ii) Deputy C (iii) Assistant	ommandant Commandant ng sufficient k	al/Commandan	ักเฉลชักย —	Prèsiding Offi Member-I Member-II Co-opted mèr	(c. ); (c.);	Not required	7 h
Of the trac					nio Ci		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Tradesmen (Cadre) (9) Constable (Carpenter)	472* (2010) *(Subject to variation depended upon work-load).	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and (5 years age rel case of Schedul Scheduled Tribes in case of Other Classes candidat Note: The cruci determination of the each case shall off date mention advertisement.	axation in ed Castes and 3 years Backward es). al date for the age-limit be the cu
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		·	
· .	(8)	<u> </u>		(9)		(10)	
Governme in case of (ii) Physical a prescribed (iii) Must qual	recognised by ent or equivaler Ex-Army persond Medical Strack scheme of the ify Physical S	the Central or at Army qualific onnel. andard as per th	State cation ne hysical	Not applical		years and further earlied discretion of coority.	
prescribed	l for Constable I in the 'adver	(General Duty) tisement for 7	)	•		, th/1	ا برد
(iv) Must be p	roficient in Car	rpenter trade.			·.		
,	-			,			
(11	) ·				(12)	,	
By direct recrui <b>Note :</b> Vacanci	es caused by th	ne incumbent b	<b>~</b> .		Not applicable		

		(13)					(14)	
	artmental l irmation:–		ommittee for o	considering	· · ·	·	Not applicable	
(i)	Deputy la	nspector Gen	eral/Command	dant	—Presiding Offi	cer	•	•
(ii)	Deputy C	Commandant		:	—Member-I			
(iii)	Assistant	Commanda	nt		—Member-II			
		•	•	•		•		
(1)	)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) .	-
(10) (Mod	Constable chi)	720* (2010) *(Subject to variation depended upon work load).	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 a (5 years age ^o ) case of Scheduled Trib in case of Oth Classes candid <b>Note:</b> The crudetermination of in each case shoff date ment advertisement.	elaxation in uled Castes, es and 3 years er Backward ates). It is a late for fithe age-limitall be the cut
			· .	<u>.</u>	(0)		(10)	
<u>.</u>	Name of the last o	(8)	from a 'Bo		(9) Not applicat	-la Tura	years and further	avrtan dalala at
(i) ,	University Governme	recognised	by the Central lent Army qual	or State	rvot appneat		discretion of co	
(ii)			Standard as pe he Governmer			•	•	· •
(iii)	Efficiency prescribed	y Test and w d for Constal I in the adv	Standard Tes ritten examina ble (General E vertisement fo	ntion as Outy)			•.	
(iv)	Must be p	roficient in N	Mochi trade.		•	-		
		<del>,</del>						
	(11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(12)	<u>.</u>	
	(11	<i>,</i>		·			in the	Horizani.
	ina at ma amui	tm.ant			ı.	Not applicable		•••
		es caused by	the incumben	-	•			
	: Vacanci	es caused by ation will als	the incumben o be filled up l	-	•			
	: Vacanci on deputa	es caused by ation will als		-	•		(14)	•
Note ————————————————————————————————————	e: Vacanci on deputa recruitme	es caused by ation will als ent.  (13)  Promotion Co		by direct	•		(14) Not applicable	
Note Depa	e: Vacanci on deputa recruitme artmental I	es caused by ation will als ent.  (13)  Promotion Co	o be filled up l	onsidering		er		
Note ————————————————————————————————————	e: Vacanci on deputa recruitme  artmental I irmation: Deputy Ir	es caused by ation will als ent.  (13)  Promotion Co	o be filled up l	onsidering	—Presiding Offic —Member-I	er		

	)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	· ·	(7)	
11)	Cons-	1124*	General	Pay Band-1	Not	Not appl	icable	Between 18	and 23 year
able	_	(2010)	Central	(Rs. 5200-	applicable				e relaxation i
Tail	or) '	(Male-	Service	20200) plus		,	,	case of Sch	
	•	1106 and	Group 'C'	Grade Pay			-		ibes and 3 year
		Female-18)	(Non-	of Rs. 2000	•	, ,			ther Backwar
•	•	*(Subject	Ministerial	•			,	Classes can	
	. ,	to variation -	combatant)	•		•			crucial date fo
		depended		•			•		of the age-lim
		upon work				•			shall be the cuntioned, in the
		load).		- '	•	_		advertiseme	
	·	<del></del>	<del></del>	<del></del>			<del></del>	duvertisente	
		(8)			(9)			(10)	_ <del>-</del>
	N. ( - ( - ( - ( - ( - ( - ( - ( - ( - (		f D			la La	Т		
(i)		or equivaler sity recognised			Not applica	Die .		years for d urther exten	
		ament or equiva						tion of compet	
		of Ex-Army pe		intication			uiscic.	tion of compe	cin additionity.
/UN		al and Medical		an tha	•			•	
ii)		bed scheme of				•			
,	•							,	
iii)		jualify Physica				-		•	
		ncy Test and w bed for Consta				, ,			
		ned in the				•	,-		•
		recruitment.	ad vertisement,	,	1				
- G-A		e proficient in	Tailonteada	• • •	· ,		* •		
(iv)		e proficient in	Tanor trade.	·					
		(11) .		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(12)	<del>-</del>		
								<del></del>	
	lirect rec	cruitment :		· <del>-</del>		Not applica	ble		
		cruitment :	v the incumber	nt being		Not applica	ble	,	
	e : Vaca	incies caused b				Not applica	ble	•	•
	e : Vaca on de					Not applica	ble		
	e : Vaca on de	incies caused b putation will al				Not applica	ble .		
	e : Vaca on de	ncies caused b putation will al tment.				Not applica	ble	(14)	
Note	e : Vaca on de recrui	nncies caused b putation will al itment. (13)	so be filled up	by direct		Not applica	ble	(14)	
Note 	e: Vaca on de recrui	putation will alitment.  (13)	so be filled up	by direct		Not applica	ble	(14) Not applica	able.
Note  Dep	e: Vaca on de recrui	incies caused b putation will al itment. (13) tal Promotion ( in:—	so be filled up	by direct considering		*	ble		able.
Note  Dep conf (i)	e: Vaca on de recrui	tal Promotion (in :—	Committee for	by direct considering	—Presiding Off	*	ble		able.
Dep conf (i)	e: Vaca on del recrui artmenti irmatio Deput	tal Promotion (13)  tal Promotion (in :—  ty Inspector Gery Commandan	Committee for eneral/Comman	by direct considering	—Presiding Off —Member-I	*	ble		able.
Dep conf (i)	e: Vaca on del recrui artmenti irmatio Deput	tal Promotion (in :—	Committee for eneral/Comman	by direct considering	—Presiding Off	*	ble		able.
Dep conf (i) (ii) (iii)	e: Vaca on del recrui artmenti irmatio Deput	tal Promotion Grant Commandant Command	Committee for eneral/Comman	by direct considering	—Presiding Off —Member-I	*	ble		able.
Dep Conf (i)	artmention Deput Assist	tal Promotion Grant Commandant Command	Committee for eneral/Comman	by direct considering	—Presiding Off —Member-II —Member-II	icer (6)			able.
Dep (i) (iii) (12)	artmenti irmatio Deput Assist	tal Promotion Grant Command (2) 450*	Committee for eneral/Comman t	considering adant (4) Pay Band-1	—Presiding Off  —Member-I  —Member-II  (5)  Not	icer (6) Not applic		Not applica (7) Between 18	and 23 year
Dep cont (i) (iii) (12) (Con	artmenti Trmatio Deput Assist	tal Promotion (13)  tal Promotion (13)  ty Inspector Ge ty Commandant Command  (2)  450* (2010)	Committee for eneral/Comman t ant (3)  General Central	considering adant  (4)  Pay Band-1 (Rs. 5200-	—Presiding Off —Member-II —Member-II	icer (6)		(7) Between 18 (5 years age	and 23 year Relaxation
Dep conf (i) (iii) (12) (Con (Bra	artmenti irmatio Deput Assist	tal Promotion (a)  tal Promotion (a)  ty Inspector Ge ty Commandant Command  (2)  450* (2010)  *(Subject	Committee for eneral/Comman t ant (3) General Central Service	considering adant  (4)  Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus	—Presiding Off  —Member-I  —Member-II  (5)  Not	icer (6) Not applic		(7)  Between 18 (5 years age case of School	and 23 year Relaxation eduled Caste
Dep (i) (ii) (iii) (12) (Con	artmenti irmatio Deput Assist	tal Promotion (13)  tal Promotion (13)  ty Inspector Gety Commandant ant Command (2)  450* (2010)  *(Subject to variation	Committee for eneral/Comman t ant General Central Service Group 'C'	considering  idant  (4)  Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay	—Presiding Off  —Member-I  —Member-II  (5)  Not	icer (6) Not applic	cable	(7)  Between 18 (5 years age case of Scheduled Tr	and 23 year Relaxation i eduled Caste ibes and 3 year
Dep conf (i) (iii) (iii) (12) Con (Bra	artmenti irmatio Deput Assist	tal Promotion (13)  tal Promotion (13)  ty Inspector Ge ty Commandan tant Command (2)  450* (2010) *(Subject to variation depended	Committee for eneral/Comman t ant (3)  General Central Service Group 'C' (Non-	considering adant  (4)  Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus	—Presiding Off  —Member-I  —Member-II  (5)  Not	icer (6) Not applic	cable	(7)  Between 18 (5 years age case of Scheduled Tr in case of O	and 23 yea Relaxation eduled Caste ibes and 3 yea ther Backwar
Dep conf (i) (iii) (iii) (12) Con (Bra	artmenti irmatio Deput Assist	tal Promotion (13)  tal Promotion (13)  ty Inspector Gety Commandant (2)  450* (2010) *(Subject to variation depended upon work-	Committee for eneral/Comman t ant	considering  idant  (4)  Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay	—Presiding Off  —Member-I  —Member-II  (5)  Not	icer (6) Not applic	cable	(7)  Between 18 (5 years age case of Scheduled Tr in case of O Classes cand	and 23 yea Relaxation eduled Caste ibes and 3 yea ther Backwandates).
Dep conf (i) (iii) (12) (Con (Bra	artmenti irmatio Deput Assist	tal Promotion (13)  tal Promotion (13)  ty Inspector Ge ty Commandan tant Command (2)  450* (2010) *(Subject to variation depended	Committee for eneral/Comman t ant (3)  General Central Service Group 'C' (Non-	considering  idant  (4)  Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay	—Presiding Off  —Member-I  —Member-II  (5)  Not	icer (6) Not applic	cable	(7) Between 18 (5 years age case of Scheduled Tr in case of O Classes cand Note: The control of	and 23 year Relaxation eduled Caste ibes and 3 year ther Backwar idates).
Dep cont (i) (iii) (12) Con (Bra	artmenti irmatio Deput Assist	tal Promotion (13)  tal Promotion (13)  ty Inspector Gety Commandant (2)  450* (2010) *(Subject to variation depended upon work-	Committee for eneral/Comman t ant	considering  idant  (4)  Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay	—Presiding Off  —Member-I  —Member-II  (5)  Not	icer (6) Not applic	cable	(7) Between 18 (5 years age case of Scheduled Tr in case of O Classes cand Note: The odetermination	and 23 year Relaxation is eduled Caster ibes and 3 year ther Backwar idates). rucial date for of the age-lim
Dep conf (i) (iii) (iii) (12) Con (Bra	artmenti irmatio Deput Assist	tal Promotion (13)  tal Promotion (13)  ty Inspector Gety Commandant (2)  450* (2010) *(Subject to variation depended upon work-	Committee for eneral/Comman t ant	considering  idant  (4)  Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay	—Presiding Off  —Member-I  —Member-II  (5)  Not	icer (6) Not applic	cable	(7) Between 18 (5 years age case of Scheduled Tr in case of O Classes cand Note: The control of	and 23 year Relaxation is eduled Caste ibes and 3 year ther Backwar idates). rucial date for of the age-limeshall be the co

		(8)			(9)			(10)	
(i)	Univer Govern	sity recognise	nt from a Bo d by the Centralent Army qu ersonnel.	al or State	Not applic	cable		ears and further discretion of ity.	
(ii)			l Standard as posternm			•			
(iii)	Efficie prescri	ncy Test and vobed for Constanted in the a	al Standard To vritten examina able (General I dvertisement	ntion as Outy)			· ·		
(iv)	Must b	e proficient in	Brass Band tr	ade.	•		5.50 ·	·	
	(	(11)				(12)			
Note on d	e : Vaca		by the incumbe filled up by di		•	Not applica	ible		
	•	. (13)						(14)	
•	artment irmatio		Committee for	considering	,	<del></del> -	:	Not applicable	.~
(i) (ii) (iii)	Deput	y Inspector Ge y Commandan ant Command		ndant	—Presiding Of  —Member-I  —Member-II	fficer	*.	:	
·.			. ,				*		
(1)	)	(2)	(3)	(4)	(5).	(6)		(7)	
(13) Cons (Pipe Ban		180* (2010) *Subject to variation depended upon work load.	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applic	) ; ; ;	Between 18 an 5 years age recase of Scheduled Tribes in case of Other Classes candidat Note: The cruc determination of the case shall affect the case shall affect the case shall be finded to the cas	laxation in led Castes, and 3 years Backwardes), ial date for the age-limi
,				· .	- ·			advertisement.	
		,			- ·				
		(8)	-		(9)				
(i)	Univers Govern	or equivaler	nt from a Boa d by the Centra alent Army qua ersonnel.	al or State	(9) Not applic		Two ye	(10) ars and further of	

38 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [Part II—Sec. 3(i) (iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned advertisement for recruitment. (iv) Must be proficient in Pipe Band trade. (12)(11)By direct recruitment. Not applicable Note: Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment. (13)(14)**Departmental Promotion Committee for considering** Not applicable confirmation:-(i) Deputy Inspector General/Commandant -Presiding Officer (ii) Deputy Commandant -Member-l (iii) Assistant Commandant -Member-II (I) (3) (2) (4) (5) · (6) (7) (14) 554* General Pay Band-1 Not Not applicable Between 18 and 23 years Constable Central (Rs. 5200-(2010)applicable (5 years age relaxation in (Gardener) (Male-Service 20200) plus case of Scheduled Castes/ 545 and Group 'C' **Grade Pay** . Scheduled Tribes and 3 years Female-9) of Rs. 2000 (Nonin case of Other Backward *Subject: Ministerial Classes candidates). to variation combatant) Note: The crucial date for depended determination of the age-limit upon workin each case shall be the cut load. off date mentioned in the advertisement. (8) (9)(10)Matric or equivalent from a Board, or Not applicable Two years and further extendable at University recognised by the Central or State the discretion of competent authority. Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel. (ii) Physical and Medical Standard as per the prescribed scheme of the Government. (iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical.

- (iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for recruitment.
- (iv) Must be proficient in Gardener trade.

recruitment.

Denz	artmental Promotion	Committee for	Considering			Not applicable	•
	irmation :—	· ·	· ·	•		rvot appricacio	
(i)	Deputy Inspector Ge	eneral/Comman	dant	—Presiding Offic	er		•
(ii)	Deputy Commandan	nt -	`	—Member-I		<i>*</i>	
(iii)	Assistant Command	lant		Member-II	٠,	•	
		,			•		•••
——————————————————————————————————————	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
$\frac{(1)}{(16)}$	277*	General	Pay Band-1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Not applicable		d 22 year
	stable (2010)	Central	(Rs. 5200-	applicable	Not applicable	'(5 years age re	
(Pair	. ,	Service	20200) plūs	applicació ,		case of Schedu	
	271 and	Group 'C'	Grade Pay			Scheduled Tribe	
	Female-6)	(Non-	of Rs. 2000		,	in case of Othe	
	*(Subject	Ministerial				Classes candida	
	to variation	combatant)				Note: The cruc	
	depended	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•			determination of	
	upon work-			•	,	in each case sha	ll be the cu
	load).	•			, ,	, off date mention	oned in the
			-		· .	advertisement.	•
	•				***		•
	(8)	<del>-</del>		(9)		(10)	
,	University recognised Government or equiv	d by the Centra alent Army qua		Not applicab	at	vo years and further of the discretion of con thority	
	Government or equiv in case of Ex-Army p Physical and Medica	d by the Centra alent Army qua ersonnel. I Standard as pe	l or State lification		at	the discretion of con	
(ii)	Government or equivin case of Ex-Army popular and Medica prescribed scheme of	d by the Centra alent Army qua ersonnel. I Standard as pe the Governme	l or State lification er the		at	the discretion of con	
(ii)	Government or equivin case of Ex-Army popular and Medica prescribed scheme of Must qualify Physical	d by the Centra alent Army qua ersonnel I Standard as po the Governme I Standard Tes	l or State lification er the nt. st/Physical		at	the discretion of con	
(i) (ii) · (iii)	Government or equivin case of Ex-Army pophysical and Medica prescribed scheme of Must qualify Physical Efficiency Test and we	d by the Centra alent Army qua ersonnel I Standard as po the Governme I Standard Tes vritten examinat	l or State lification er the ent. st/Physical ion as		at	the discretion of con	
(ii)	Government or equivin case of Ex-Army por Physical and Medica prescribed scheme of Must qualify Physical Efficiency Test and we prescribed for Constant	d by the Centra alent Army qua ersonnel. I Standard as portion Government Standard Testritten examinatible (General Di	l or State lification er the ent. st/Physical ion as		at	the discretion of con	
(ii)	Government or equivin case of Ex-Army por Physical and Medica prescribed scheme of Must qualify Physical Efficiency Test and we prescribed for Constantioned in the account of the prescribed for Constantioned in the prescribed for Constantioned for Constantioned in the prescribed for Constantioned in the prescribed for Constantioned for Constan	d by the Centra alent Army qua ersonnel. I Standard as portion Government Standard Testritten examinatible (General Di	l or State lification er the ent. st/Physical ion as		at	the discretion of con	
(ii) (iii)	Government or equivin case of Ex-Army por Physical and Medica prescribed scheme of Must qualify Physical Efficiency Test and we prescribed for Constant mentioned in the arrecruitment.	d by the Centra alent Army qua ersonnel.  I Standard as poor the Government Standard Testern examinate (General Didvertisement f	l or State lification er the ent. st/Physical ion as		at	the discretion of con	
(ii) (iii)	Government or equivin case of Ex-Army por Physical and Medica prescribed scheme of Must qualify Physical Efficiency Test and we prescribed for Constantioned in the account of the prescribed for Constantioned in the prescribed for Constantioned for Constantioned in the prescribed for Constantioned in the prescribed for Constantioned for Constan	d by the Centra alent Army qua ersonnel.  I Standard as poor the Government Standard Testern examinate (General Didvertisement f	l or State lification er the ent. st/Physical ion as		at	the discretion of con	
(ii) (iii)	Government or equivin case of Ex-Army por Physical and Medica prescribed scheme of Must qualify Physical Efficiency Test and we prescribed for Constant mentioned in the arrecruitment.	d by the Centra alent Army qua ersonnel.  I Standard as poor the Government Standard Testern examinate (General Didvertisement f	l or State lification er the ent. st/Physical ion as		at	the discretion of con	
(ii) (iii)	Government or equivin case of Ex-Army por Physical and Medica prescribed scheme of Must qualify Physical Efficiency Test and we prescribed for Constant mentioned in the arrecruitment.	d by the Centra alent Army qua ersonnel.  I Standard as poor the Government Standard Testern examinate (General Didvertisement f	l or State lification er the ent. st/Physical ion as		at	the discretion of con	
(ii) (iii)	Government or equivin case of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Must qualify Physical Efficiency Test and was prescribed for Constant mentioned in the arrecruitment.  Must be proficent in  (11)  irect recruitment.	d by the Centra alent Army qua ersonnel I Standard as porthe Government Standard Testritten examinate the General Didvertisement for Painter trade.	l or State lification er the ent. st/Physical ion as uty)		at au	the discretion of con	
(ii) (iii)  By d	Government or equivin case of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Executive and Medical prescribed scheme of Must qualify Physical Efficiency Test and with prescribed for Constant mentioned in the arrecruitment.  Must be proficent in (11)  irect recruitment.	d by the Centra alent Army qua ersonnel. I Standard as per the Government Standard Testritten examinate the General Didvertisement of Painter trade.	l or State lification  er the ent. st/Physical ion as uty) For		at au	the discretion of con	
(iii) (iv) By d Note	Government or equivin case of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Executive and Medical prescribed scheme of Must qualify Physical Efficiency Test and was prescribed for Constant mentioned in the arrecruitment.  Must be proficent in (11)  irect recruitment.  It is a value of the value of the execution will also be expected as a constant of the execution will also be executed as a constant of Execution will also be executed as a constant of Execution will also be executed as a constant of Execution will also be executed as a constant of Execution of E	d by the Centra alent Army qua ersonnel. I Standard as per the Government Standard Testritten examinate the General Didvertisement of Painter trade.	l or State lification  er the ent. st/Physical ion as uty) For		at au	the discretion of con	
(iii) (iv) By d Note	Government or equivin case of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Executive and Medical prescribed scheme of Must qualify Physical Efficiency Test and with prescribed for Constant mentioned in the arrecruitment.  Must be proficent in (11)  irect recruitment.	d by the Centra alent Army qua ersonnel. I Standard as per the Government Standard Testritten examinate the General Didvertisement of Painter trade.	l or State lification  er the ent. st/Physical ion as uty) For		at au	the discretion of con	
(iii) (iv) By d Note	Government or equivin case of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Executive and Medical prescribed scheme of Must qualify Physical Efficiency Test and was prescribed for Constant mentioned in the arrecruitment.  Must be proficent in (11)  irect recruitment.  It is a value of the value of the execution will also be expected as a constant of the execution will also be executed as a constant of Execution will also be executed as a constant of Execution will also be executed as a constant of Execution will also be executed as a constant of Execution of E	d by the Centra alent Army qua ersonnel. I Standard as per the Government Standard Testritten examinate the General Didvertisement of Painter trade.	l or State lification  er the ent. st/Physical ion as uty) For		at au	the discretion of con	
(iii) (iv) By d Note	Government or equivin case of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Must qualify Physical Efficiency Test and was prescribed for Constant mentioned in the arrecruitment.  Must be proficent in  (11)  irect recruitment.  : Vacancies caused be eputation will also be nitment.	d by the Centra alent Army qua ersonnel. I Standard as per the Government Standard Testritten examinate the General Didvertisement of Painter trade.	l or State lification  er the ent. st/Physical ion as uty) For		at au	the discretion of conthority	
(iv)  By d  Note on de	Government or equivin case of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Exercised and Medica prescribed scheme of Must qualify Physica Efficiency Test and was prescribed for Constant mentioned in the arrecruitment.  Must be proficent in (11)  irect recruitment.  It is a value of the value of the exercised of the exercise of the exerc	d by the Centra alent Army qua ersonnel.  I Standard as porthe Government Standard Testeritten examinated (General Didvertisement for Painter trade.	l or State lification  er the int. st/Physical ion as uty)  or		at au	the discretion of conthority	
(ii) (iii)  By d  Note on d recru	Government or equivin case of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Must qualify Physical Efficiency Test and was prescribed for Constant mentioned in the arrecruitment.  Must be proficent in  (11)  irect recruitment.  : Vacancies caused be eputation will also be nitment.	d by the Centra alent Army qua ersonnel.  I Standard as porthe Government Standard Testeritten examinated (General Didvertisement for Painter trade.	l or State lification  er the int. st/Physical ion as uty)  or		at au	the discretion of conthority	
By d Note on de recru  Depa	Government or equivin case of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Exercised and Medical prescribed scheme of Must qualify Physical Efficiency Test and with prescribed for Constant mentioned in the arrecruitment.  Must be proficent in the exercised for Exercised for Constant in the exercised for Constant in the exercised for Exerc	d by the Centra alent Army qua ersonnel. I Standard as porthe Government Standard Testritten examinate (General Didvertisement of Painter trade.  Painter trade.  Committee for all the committee of the committee	l or State lification er the ent. st/Physical ion as uty) for  nt being ect	N	at au' (12) lot applicable	the discretion of conthority	
(iii) (iii)  By d  Note on derecru	Government or equivin case of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Ex-Army portion of Exercised and Medica prescribed scheme of Must qualify Physica Efficiency Test and was prescribed for Constant mentioned in the arrecruitment.  Must be proficent in (11)  irect recruitment.  It is a value of the value of the exercised of the	d by the Centra alent Army qua ersonnel.  I Standard as porthe Government Standard Testeriten examinate (General Didvertisement for Painter trade.  Painter trade.  Committee for eneral/Comman.	l or State lification  er the int. st/Physical ion as uty)  or  the being ect  considering dant		at au' (12) lot applicable	the discretion of conthority	

[भाग II—ख	ण्ड 3(i)]		भारत	का राजपत्र : अस	ा <b>धा</b> रण	• 41
(1)	(2)	(3)	· (4) ·	(5)	(6)	<b>(7)</b>
· (17) Head . Constable . (Carpenter)	255* (2010) *Subject to variation depended upon work- load.	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	Pay Band- (Rs. 5200- 20200) plu Grade Pay of Rs. 2400	selection	Not applicable	Not applicable
		<u> </u>				
(8)				(9)	<u> </u>	(10)
Not applicab	ole '''			Not applic	able	Not applicable
	11)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(12)	
By promotic	on.		(ii) SI or Po (iii) SI (iv) M Note 1. W ar cc el or pr ju Note 2. Fo pr to ba ex sc	hould have passed rany other course pro- olice Force from time hould possess Medianust have good reconsidered provided igibility service by many two years, which expending the purpose of the purpose of comotion the service 1st January, 2006, ased on the Sixth teended, shall be deepending the purpose of th	pre-promotional/pro- escribed by the Direc- ne to time as per requi- ical category "SHAF ord of Service.  The completed their of d for promotion, the they are not short more than half of such over is less and have so promotion to the next ady completed such of computing minimal e rendered on a regu- the date from whice Pay Commission re- temed to be service re-	•
	(13)	2				(14)
(ii) Deputy (iii) Assista	Inspector Ger Commandant ont Commanda aving sufficien	int .	dant	—Presiding Offic  —Member-I  —Member-II  —Co-opted Mem		Not applicable
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7).
(18) Head Constable (Mochi)	86* (2010) *Subject to variation depended upon work- load.	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2400	selection	Not applicable	Not applicable

42	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	THE GAZETT	E OF IND	IA : EXTRA	ORDINARY	[Part	II—SEC. 3(i)
(8)		#		(9)		(10)	,
Not applicable				Not applica	able	Not applic	able
(11)	-		<u> </u>		(12)	<u> </u>	•
By Promotion			i) Constabl	le (Mochi) w	ith five years	regular serivce in t	he grade.
			or any otl	ner course pre	scribed by the	nal/promotional con Director General, C r requirements.	
	و مواود	(ii	j)_Should p	ossess Medio	cal category "	SHAPE-ONE".	
	•	(iv	/) Must hav	ve good reco	rd of Service.		
		Note :	or being consider eligibility or two ye probation	considered ed provided service by m ears, whichev period for p	for promotic they are not s ore than half or er is less and h romotion to the	their qualifying/eligon, their seniors we short of the requisif such qualifying/eligoners successfully contained and the property of the such qualifying/eligoners.	ould also be te qualifying/gibility service ompleted their along with the
		Note 2	promotion to 1st Jan based or extended scale of p	on the service nuary, 2006, I the Sixth F , shall be deen	rendered on a the date from Pay Commiss med to be serv	inimum qualifying regular basis by an which the revised ion recommendation ice rendered in the cod based on the reco	n officer prior pay structure ons has been corresponding
, *				•	•		. •
	(13)					(14)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(ii) Deputy Cor (iii) Assistant C	nector General nmandant commandant sufficient kno		—Мє	esiding Office ember-I ember-II	er	Not applicable	
of the trade		·	—Co	opted Meml	ber .		<u> </u>
		manager with the second of		•			. •
(1) (2	2) , (3	3)	.(4)	(5)	- (6)	(7)	
and Fem *Su to v depo	0) Cer le-289: Ser Gro sale-6) (No bject Mir	ntral (Rs. vice 2020 oup 'C' Grad	Band-1 5200- 00) plus de Pay s. 2400	Non- 1 selection	Not applicable	Not applicable	

load.

<u></u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
(8)		*	(9)	(10)
Not applicable	·		Not applicable	Not applicable

combatant)

load.

THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY 44 IPART II—SEC. 3(i)] (11)(12)(i) Constable (Brass Band) with five years regular serioce in the grade. By Promotion (ii) Should have passed pre-promotional/promotional course/trade test or any other course prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time as per requirement. (iii) Should possess Medical category "SHAPE-ONE". (iv) Must have good record of Service. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service or being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission. (14)(13)Deputy Inspector General/Commandant ·Presiding Officer Not applicable (ii) Deputy Commandant Member-I Assistant Commandant Member-II (iii) One having sufficient knowledge of the trade Co-opted member (1)(2)(3) (4) (5)(6)(7)68* (21) Head Pay Band-1 Non-General Not applicable Not applicable Constable (2010)Central (Rs. 5200selection *Subject Service 20200) plus: (Pipe Band) Grade Pay to variation Group 'C of Rs. 2400 depended (Nonupon work Ministerial load. combatant) 11111111111 (9)(10)(8) Not applicable Not applicable Not applicable (11)(12)

## By Promotion

- (i) Constable (Pipe Band) with five years regular service in the grade.
- (ii) Should have passed pre-promotional/promotional courses/trade test. or any other course prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time as per requirements.
- (iii) Should possess Medical category "SHAPE-ONE"

(12)

## (iv) Must have good record of Service.

Note 1. Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service or being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2. For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.

(13)		(14)
(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer	Not applicable
(ii) Deputy Commandant	—Member-I	•
(iii) Assistant Commandant	—Member-II	·
(iv) One having sufficient knowledge of the trade.	—Co-opted member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(22) Constable (Cook)	6486* (2010) (Male- 6382 and Female-104) *(Subject to variation depended	Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates).  Note: The crucial date for determination of the age-limit
·	upon work load).	•		٠.		in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.

	. (8)			(9) .	(10)	
(i)	Matric or equivalent from a Board, or University recognised by the Central or S	tate .	, Not.a	applicable	 Two years and fur at the discretion	
	Government or equivalent Army qualification	tion			authority	•
	in case of Ex-Army personnel.	<b>'.</b>		, ,	1	
(ii)	Physical and Medical Standard as			·	•	
	prescribed for Constable (General Duty).	:		. •		•
(iii)	Should be proficient in Cook trade.	•.		·* .		•

(11)	(12)	
100% by direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.	Not applicab	le formation operations from
	<u> </u>	
(13)		(14)
Departmental promotion committee for considering confirmation:		Not applicable
(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer	
	· <del>-</del>	
(ii) Deputy Commandant	—Member-I	
(iii) Assistant Commandant	—Member-II	
	0	
(1) (2) (3) (4)	(5)	. (7)
(23) Constable 2020* General Pay Band- (Barber/Hair (2010) Central (Rs. 5200- Dresser) (Male- 1991 and Group 'C' Grade Pay Female-29) (Non- *(Subject Ministerial to variation depended upon work load).	applicable s	(5 years age relaxation in case of Scheduled Castes. Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates).  Note: The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.
		,
(8)	(9)	(10)
(i) Matric or equivalent from a Board or University recognised by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.		Two years and further extendable at the discretion of competent authority
(ii) Physical and Medical Standard as prescribed for Constable (General Duty).		
(iv) Should be proficient in Barber/Hair dresser trade		
	• •	
(11)	(12)	
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		1.
100% by direct recruitment.  Note:::Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.	Not applicab	r ii
(13)		(14)
Departmental promotion committee for considering confirmation:—		Not applicable
(i) Deputy Inspector General/Commandant (ii) Deputy Commandant (iii) Assistant Commandant	—Presiding Officer  —Member-I  —Member-II	

advertisement.

	and the second s							****	·
	(8)		Ÿ	(9)		, .	(10	)	
Univer	sity recognised	from a-Board by the Centra	al or State	Not appli		at th	ne discretio	I further ext on of compe	tent 📆
	ment or equive of Ex-Army pe	alent Army qua	alification		arii ing je ur	auth auth	ority: '/	programme a dec	도 ( - * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ii) Physica	l and Medical	Standard as ble (General D			# +2M4 - 14		-		
-		n Water Carne	. **		- Fra - None	· · · · ·			
(IV) SHOULG	pe proficient i	ii water Carite	a daue.	<u>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • </u>		·	<u></u>	\$.	-11
	·					<u> </u>			
	H)	. E.		- <u>i</u>	(12)	) ,	inst	rie .	- -,, î ,
•	ect recruitment			• •	Not appl	licable	% I	. •	4
		y the incumbe filled up by di		•					
recruitment.	ii wiii digo oc	imou up by ur	1001			•			•
		dispaties"	•	<u> </u>	<del></del>				
	<u> </u>		<u> </u>			• ,		٠	
	(13)	,	,					(14)	
Department confirmation		Committee for	considering		• .		Not app	olicable	
	, ,								
D	. I		. 44	Don't Par O	œ				•
-	· ·	neral/Commar	ndant	—Presiding O	fficer		-		•
(ii) Deputy	Commandan	t d	ndant	—Presiding O —Member-I	fficer			,	•
(ii) Deputy	· ·	t d	ndant		fficer			, ;	
ii) Deputy	Commandan	t d	ndant	—Member-I	fficer				
(ii) Deputy	Commandan	t d	ndant (4)	—Member-I		6)		(7)	
(ii) Deputy (iii) Assista  (1)  26)  Constable Safai	(2) 4190* (2010) (Maie- 4130 and Female-60) *(Subject to variation depended	t ,	(4) Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	—Member-II  (5)  Not applicable			Betwee (5 year case of Schedule in case Classes Note: 1 determin	n 18 and 2 s age relax Scheduled ed Tribes an of Other B candidates). The crucial nation of the	ation Caste d 3 yea ackwar date fo
(ii) Deputy (iii) Assista  (1)  26)  Constable Safai	(2) 4190* (2010) (Maie- 4130 and Female-60) *(Subject to variation	(3)  General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial	(4) Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	—Member-II  (5)  Not applicable	(6		Betwee (5 year case of Schedule in case Classes Note: 7 determine in each	n 18 and 2 s age relax Scheduled ed Tribes an of Other B candidates). The crucial nation of the case shall be mentione	cation in Caste d 3 year ackwar date for age-lime the critical case.
ii) Deputy iii) Assista  (1)  26) Constable Safai (Armachari)	(2) 4190* (2010) (Maie- 4130 and Female-60) *(Subject to variation depended upon work load).	(3)  General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	(4) Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	—Member-II  (5)  Not applicable	(6		Betwee (5 year case of Schedule in case Classes Note: 3 determine the case of date of	n 18 and 2 s age relax Scheduled ed Tribes an of Other B candidates). The crucial nation of the case shall be mentione	cation Caste d 3 year ackward date for age-lime the control of the
ii) Deputy iii) Assista  (1)  26) Constable Safai Karmachari)	(2) 4190* (2010) (Male- 4130 and Female-60) *(Subject to variation depended upon work load).	(3)  General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	(4) Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	—Member-II  (5)  Not applicable	(6		Betwee (5 year case of Schedule in case Classes Note: 3 determine the case of date of	n 18 and 2 s age relax Scheduled ed Tribes an of Other B candidates). The crucial nation of the case shall b e mentione ement.	cation Caste d 3 year ackward date for age-lime the control of the
(1) 26) Constable Safai Carmachari)  Matric C Univers Governin case C	(2) 4190* (2010) (Male- 4130 and Female-60) *(Subject to variation depended upon work load).  (8) or equivalent fity recognised ment or equivalent of Ex-Army pe	(3)  General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)  rom a recognis by the Centra ilent Army quarsonnel.	(4) Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000 )	—Member-II  (5)  Not applicable	Not app	Two at th	Betwee (5 year case of Schedule in case Classes Note: 7 determine ach off date advertise (10) years and	n 18 and 2 s age relax Scheduled ed Tribes an of Other B candidates). The crucial nation of the case shall b e mentione ement.	ation Caste d 3 yea ackwai date for age-lime e the c d in the
(ii) Deputy (iii) Assista  (1)  26) Constable (Safai Karmachari)  i) Matric ( Univers Government of the case of th	(2) 4190* (2010) (Male- 4130 and Female-60) *(Subject to variation depended upon work load).  (8) or equivalent fity recognised ment or equivalent of Ex-Army per and Medical	(3)  General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)  rom a recognis by the Centra ilent Army quarsonnel.	(4) Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000 )	—Member-II  (5)  Not applicable	Not app	Two at th	Betwee (5 year case of Schedule in case Classes Note: determinin each off date advertise (10) years and e discretion	n 18 and 2 s age relax Scheduled ed Tribes an of Other B candidates). The crucial nation of the case shall b e mentione ement.	ation Caste d 3 year ackwar date for age-lime e the cid in the dable

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत	का राजपत्र :	असाधां	रण	·	,		49
(11)	. (	•	-	(12)	<del>-</del>			-
100% by direct recruitment.	cumbent being			applicable				
on deputation will also be filled up	•	•		•		<b>X</b> ,	•1	
recruitment.	· · ·		<del></del>	1	3		-	
(13)						(14)	· · · · · ·	
Departmental Promotion Commit confirmation :—	tee for considering			به بخس ا	Not	applicable -	• .	
(i) Deputy Inspector General/Co	ommandant	Presiding			•-	13		
(ii) Deputy Commandant (iii) Assistant Commandant	عديد مانون ∓ 1 عاد	<ul><li>—Member-</li><li>—Member-</li></ul>	_		•	بد سد. د	• •	
		[F. No	. R-II-21	/2010-Recru	•	Group 'C' pos		

S. C. SIVAJI RAO, Secy. (Pers-I)